नागरिक सुरक्षा योजना

2026

जिला–बारां

बाल मुकुन्द असावा I.A.S
जिला कलक्टर एवं नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा विभाग, बारां (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	
	भाग – I	
01	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	04
	भाग – II	
02	बारां जिले की रुपरेखा व जिला प्रशासन	09
	भाग – III	
03	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	26
04	मुख्यालय (Headquarter Service)	27
05	संचार सेवा (Communication Service)	30
06	वार्डन सेवा (Warden Service)	33
07	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	34
08	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	35
09	हताहत सेवा (Casualty Service)	36
10	बचाव सेवा (Rescue Service)	37
11	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	38
12	पूर्ति सेवा (Supply Service)	38
13	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	39
14	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	40
15	कल्याण सेवा (Welfare Service)	41
	भाग – IV	
16	निष्क्रमण (Evacuation)	43
17	रिपेयर एवं डेमोलेशन	45
18	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	46
19	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	48
	भाग – V	
20	रासायनिक युद्ध	50
21	जैविक युद्ध	52
22	आणविक युद्ध	54
	भाग – VI	
23	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	63
24	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	64
25	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची	83

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन–धन हानि में अपार वृद्वि हुई है। बारां जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे–युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, ओद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहयोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। बारां जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 12.22 लाख है।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा बारां शहर नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III घोषित है।

दिनांक :

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, बारां

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन'' किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका ''बाहरी आक्रमण/हवाई हमला'' के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को ''नागरिक सुरक्षा जिले'' घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) **निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर** –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) **नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय** – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें बारां जिला भी सम्मिलित है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)

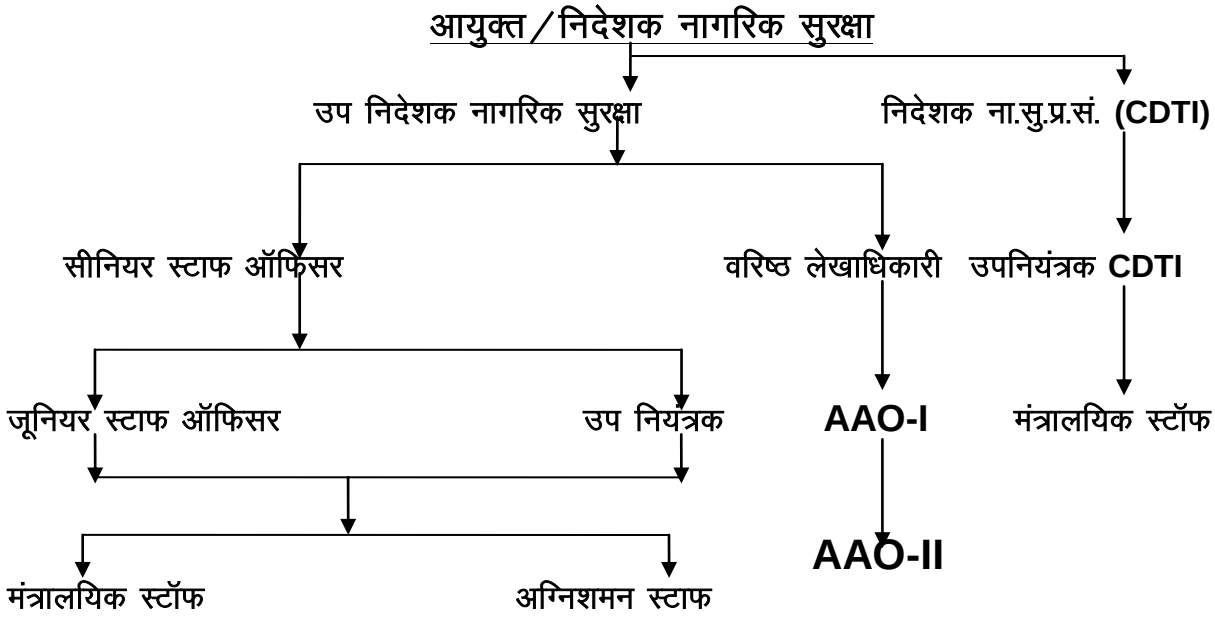

(ख)नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)

Incident Response System Organization Chart

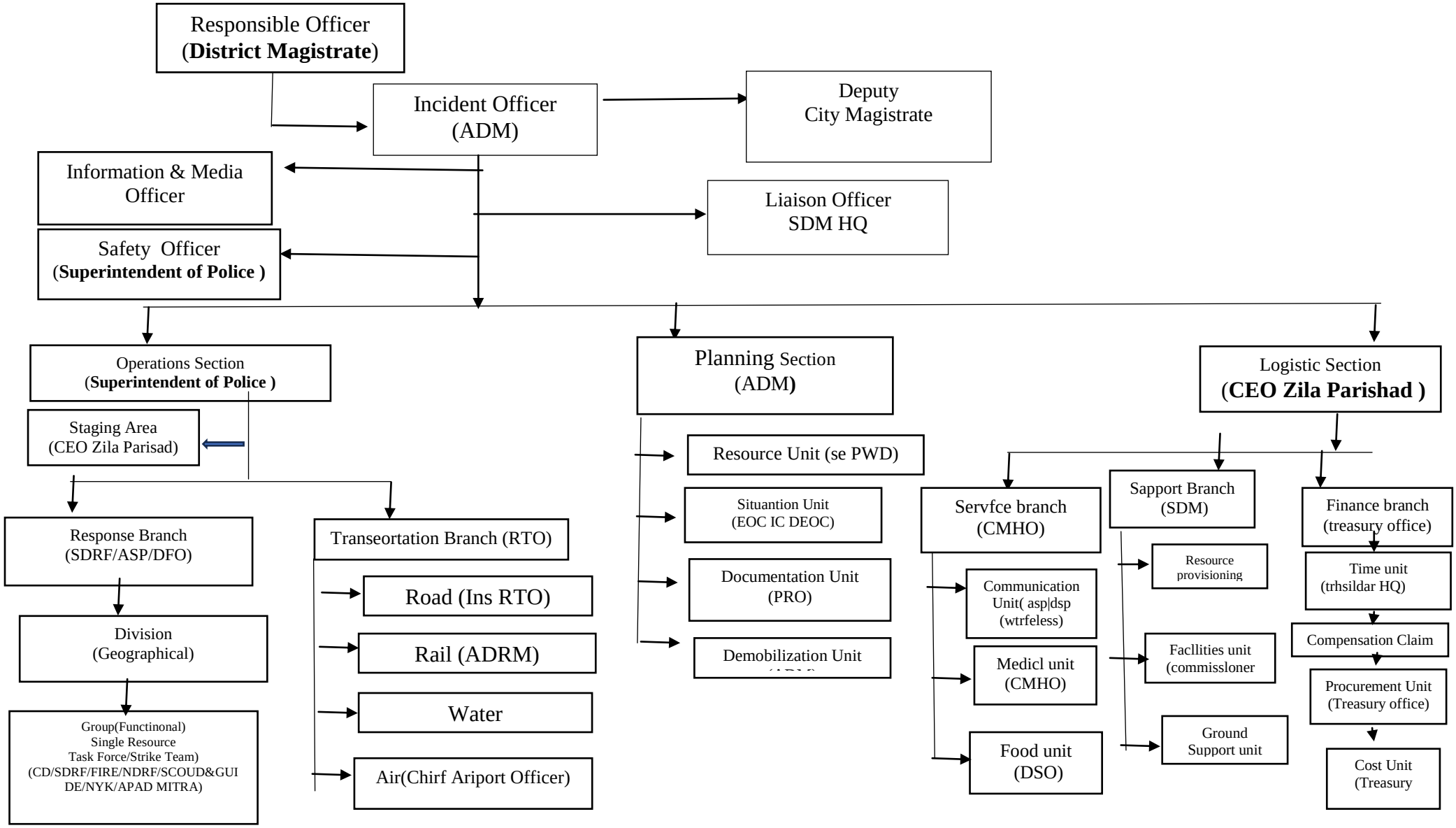

1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/ कार्मिकों/ /स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009'' जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल ''बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा'' के साथ ही सैकेण्डरी रोल ''आपदा प्रबन्धन'' भी कर दिया गया।

भाग – II

बारां जिले की रूपरेखा

2.1 बारां जिले का नक्शा

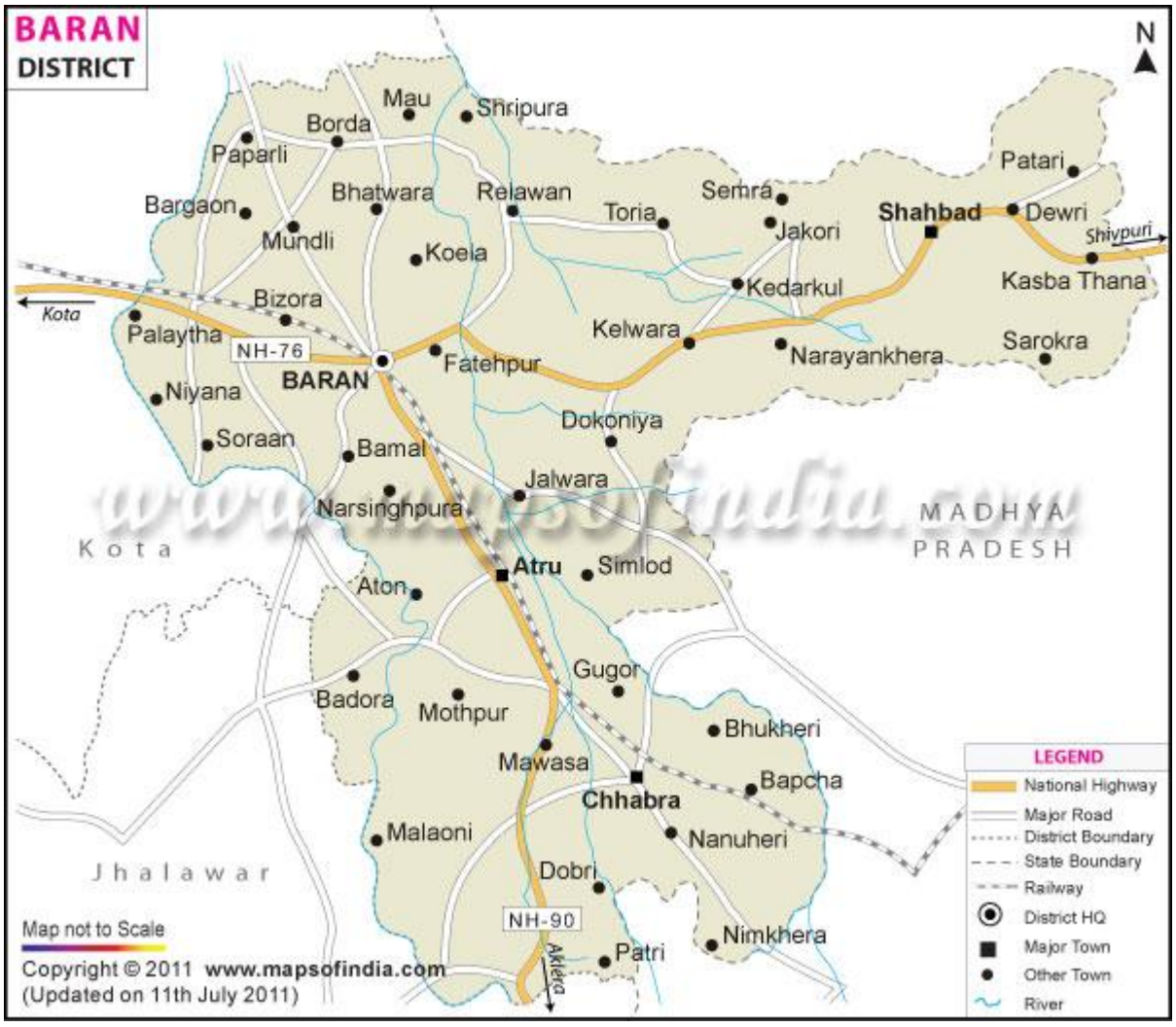

2.2 भौगोलिक स्थिति – बारां जिला राजस्थान का सूदूर दक्षिणी पूर्वी सीमान्त जिला है। इसकी सीमायें अन्तर्राज्यीय सीमा में मांगरोल तहसील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित भावगढ़ से छीपाबड़ौद तहसील के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित टोल खेड़ा तक बारां जिले की उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा मध्यप्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय सीमा बनाती है। अन्तर्जिला सीमा में छीपाबड़ौद तहसील की दक्षिणी पश्चिमी तथा अटरू तहसील की आधी पश्चिमी सीमा बारां जिले को झालावाड़ जिले से पृथक करती है।

स्थल आकृति की दृष्टि से बारां जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का एक भाग है। जिसे हाड़ौती के पठार की संज्ञा दी गयी है। यह मुख्य रूप से कालीसिंध व

पार्वती नदी के दोआब है। जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर है। इस मैदान का क्रमिक ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है।

हाड़ौती का पठार गोंड़वाना लैण्ड पर स्थित एवं सन्तुलित होने से भूकम्प की सम्भावना शून्य है। अप्रवाह प्रणाली बारां जिले का क्रमिक ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस जिले का सम्पूर्ण जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। जिले की नदियों की प्रणाली वृक्षसम या दुमाकार है।

2.3 सामान्य जानकारी :— तहसीलवार

(1) तहसील बारां :—

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
107	105	8	32	213555	93390	230082	230322	237006	237015

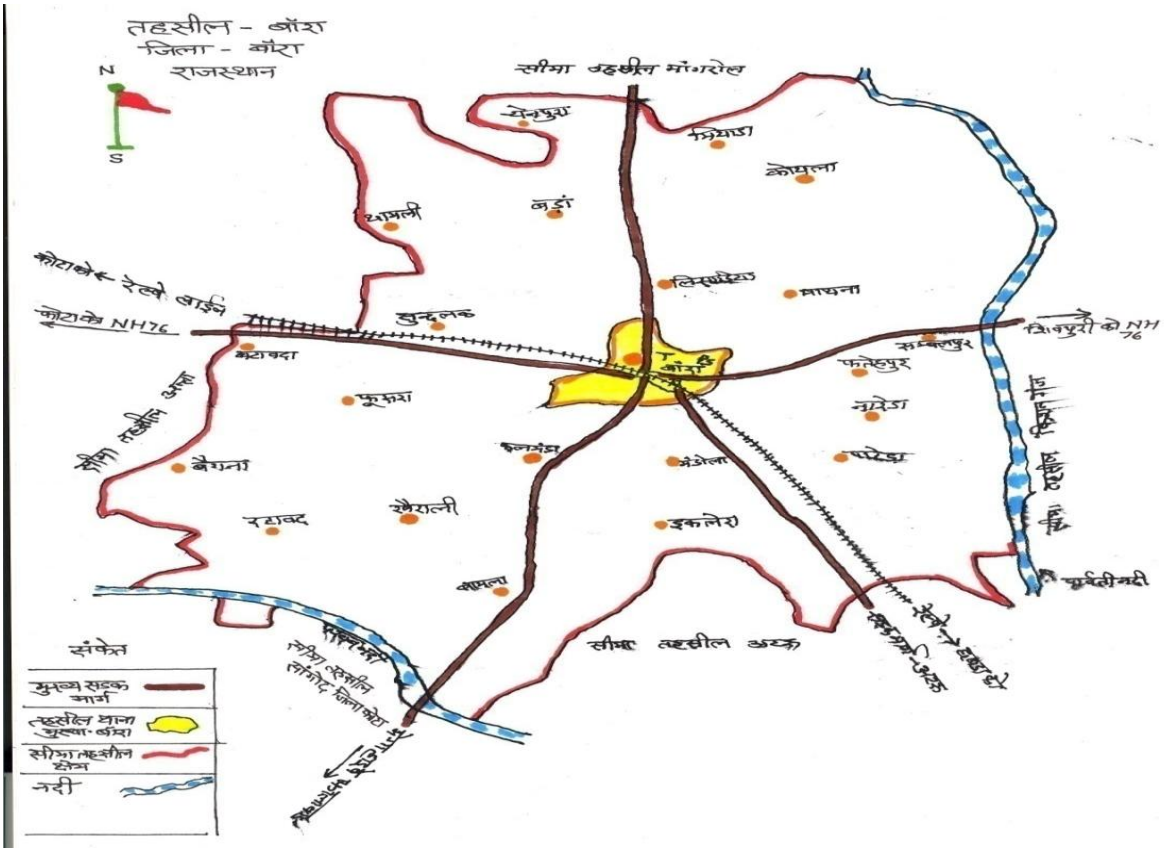

(2) तहसील अन्ता :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
86	83	7	29	120038	162099	244253	232247	244800	244101

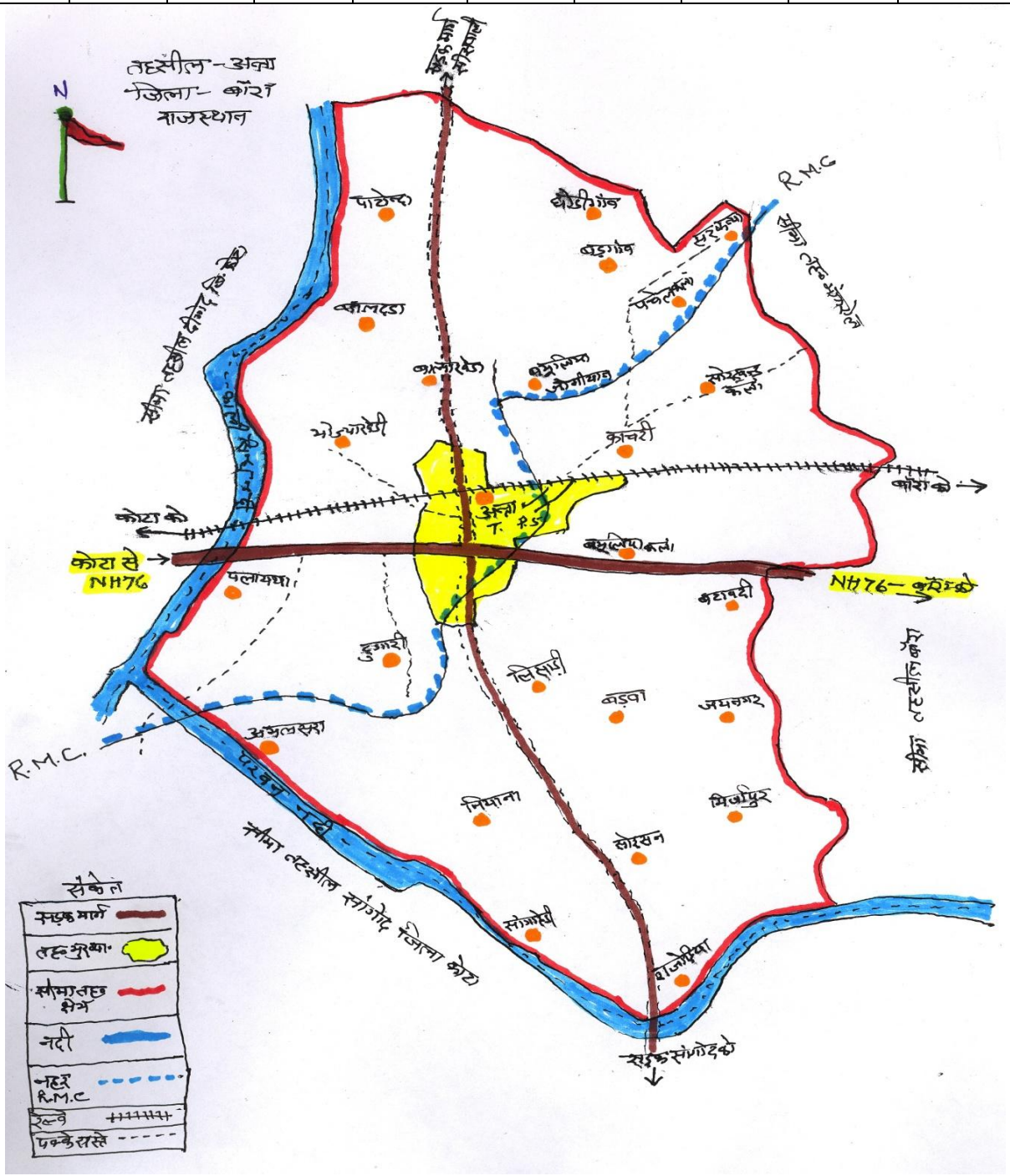

(3) तहसील मांगरोल :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
80	73	5	22	106963		225223	225340	223700	223229

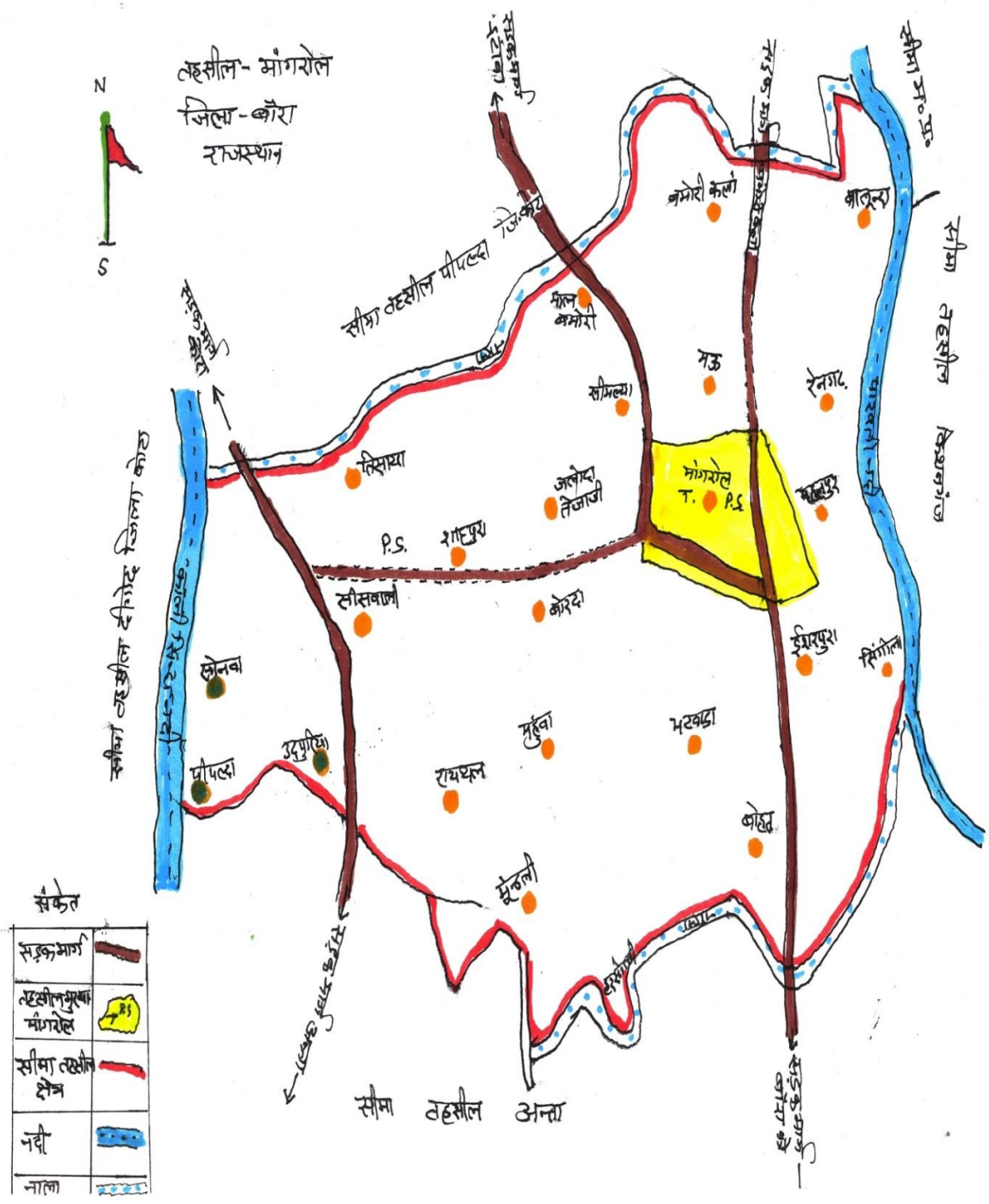

(4)तहसील अटरू :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
148	146	8	34	149959	119489	240222	240215	240864	240235

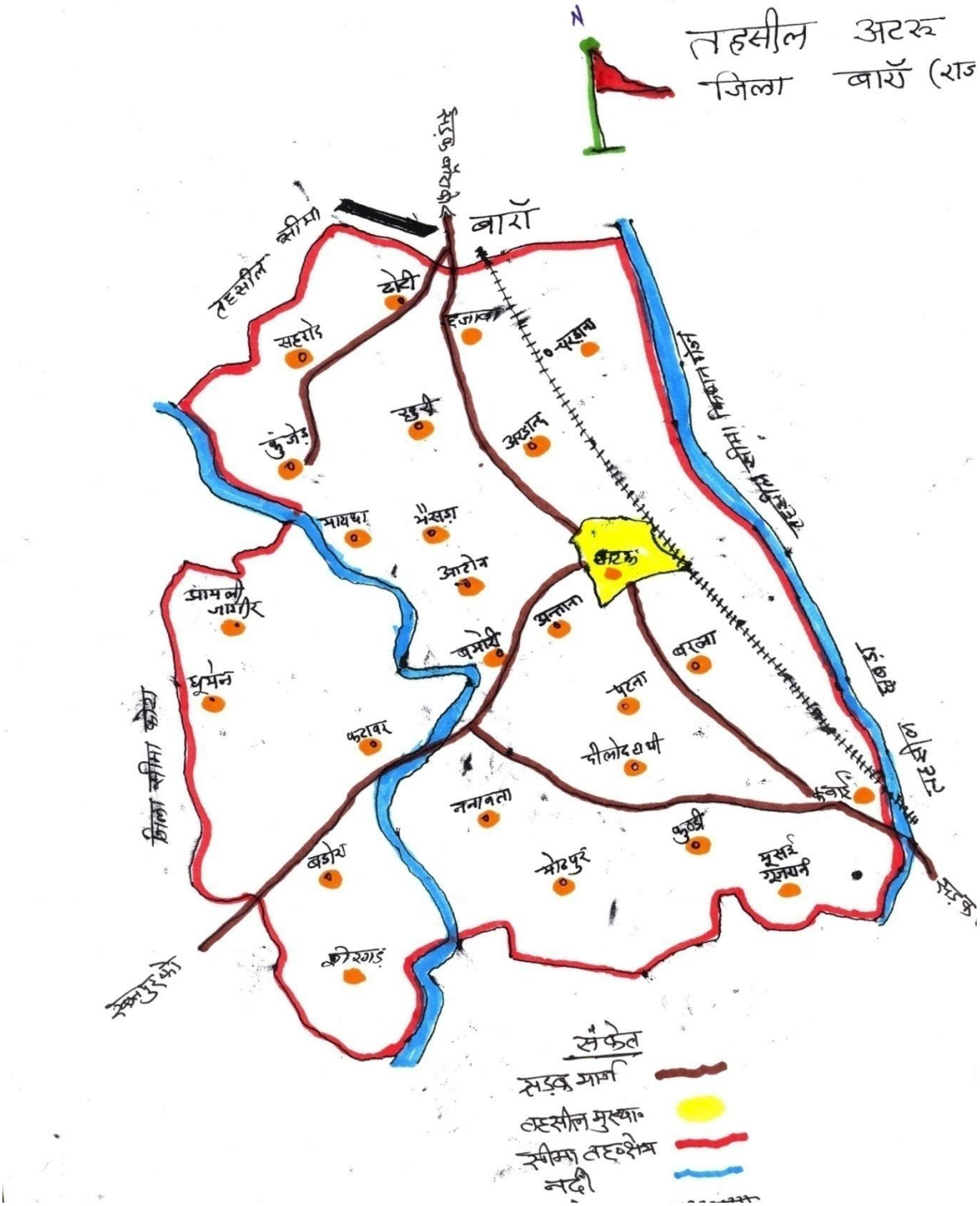

(5) तहसील छबड़ा :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
196	190	7	28	152429	109083	222020	222875	222022	222028

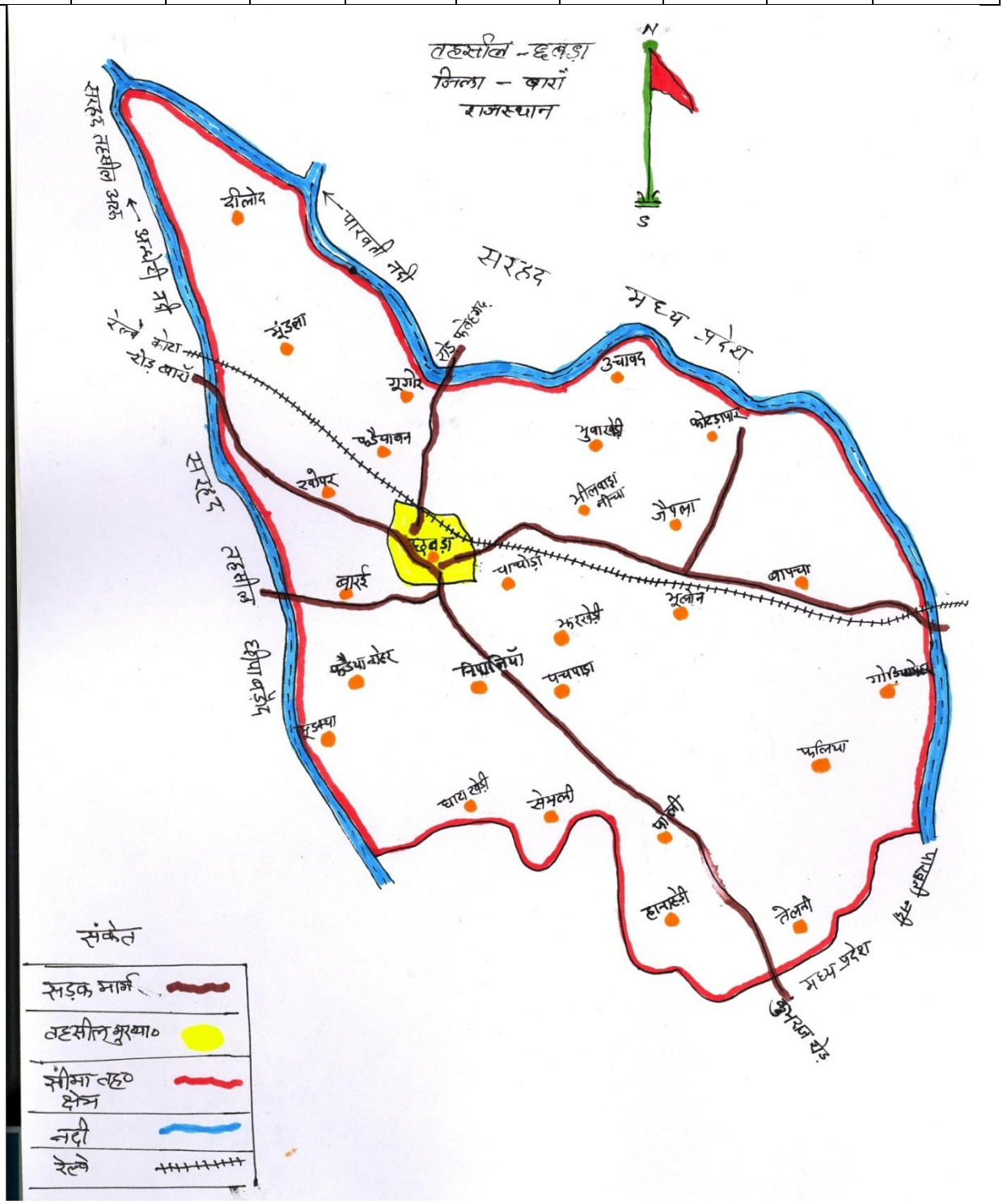

(6)तहसील छीपाबड़ौद :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
186	178	8	30	170886	149510	285446	285399	285600	285424

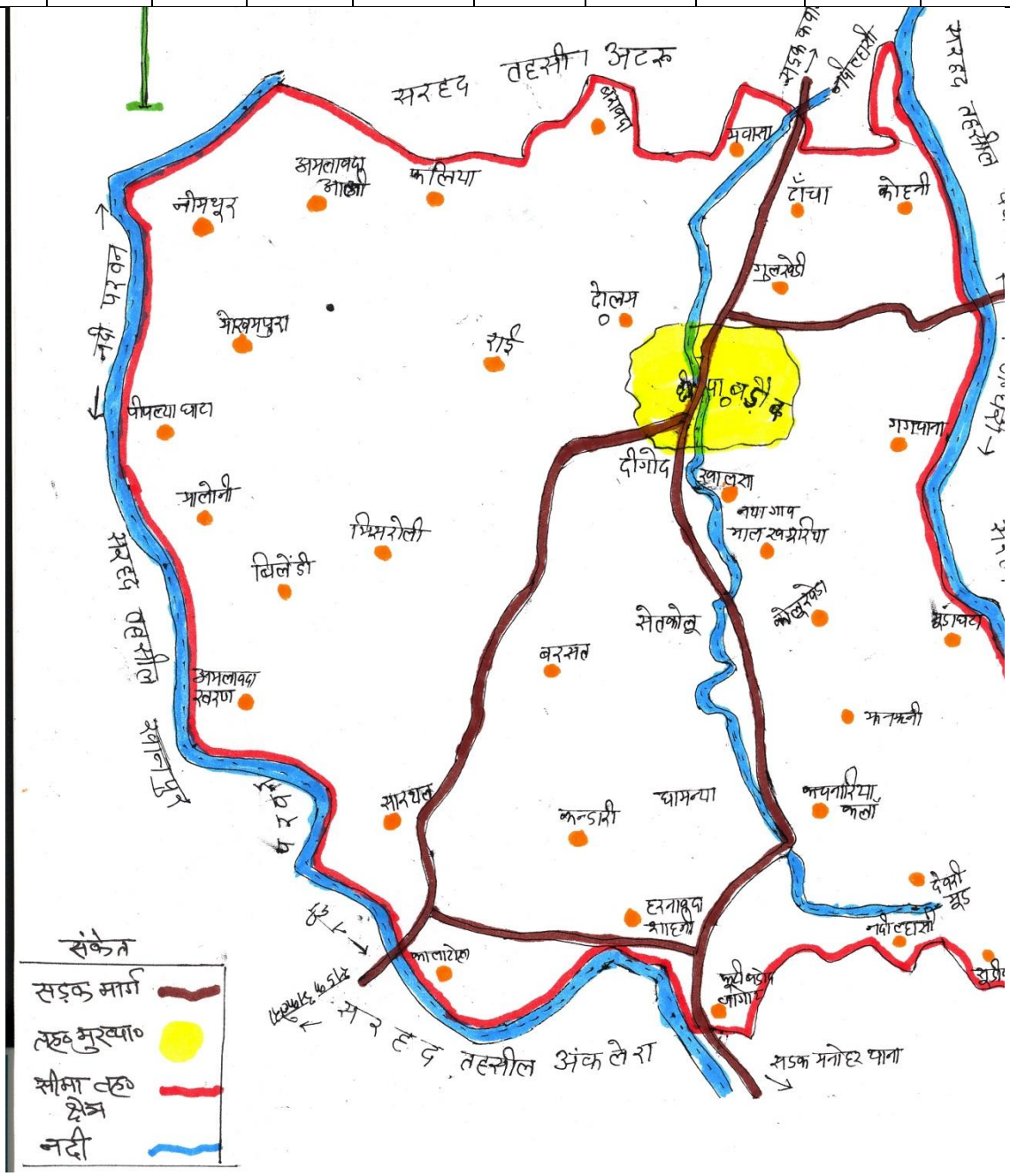

(7)तहसील किशनगंज :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
213	186	8	34	166864	139593	253305	253380	253304	253306

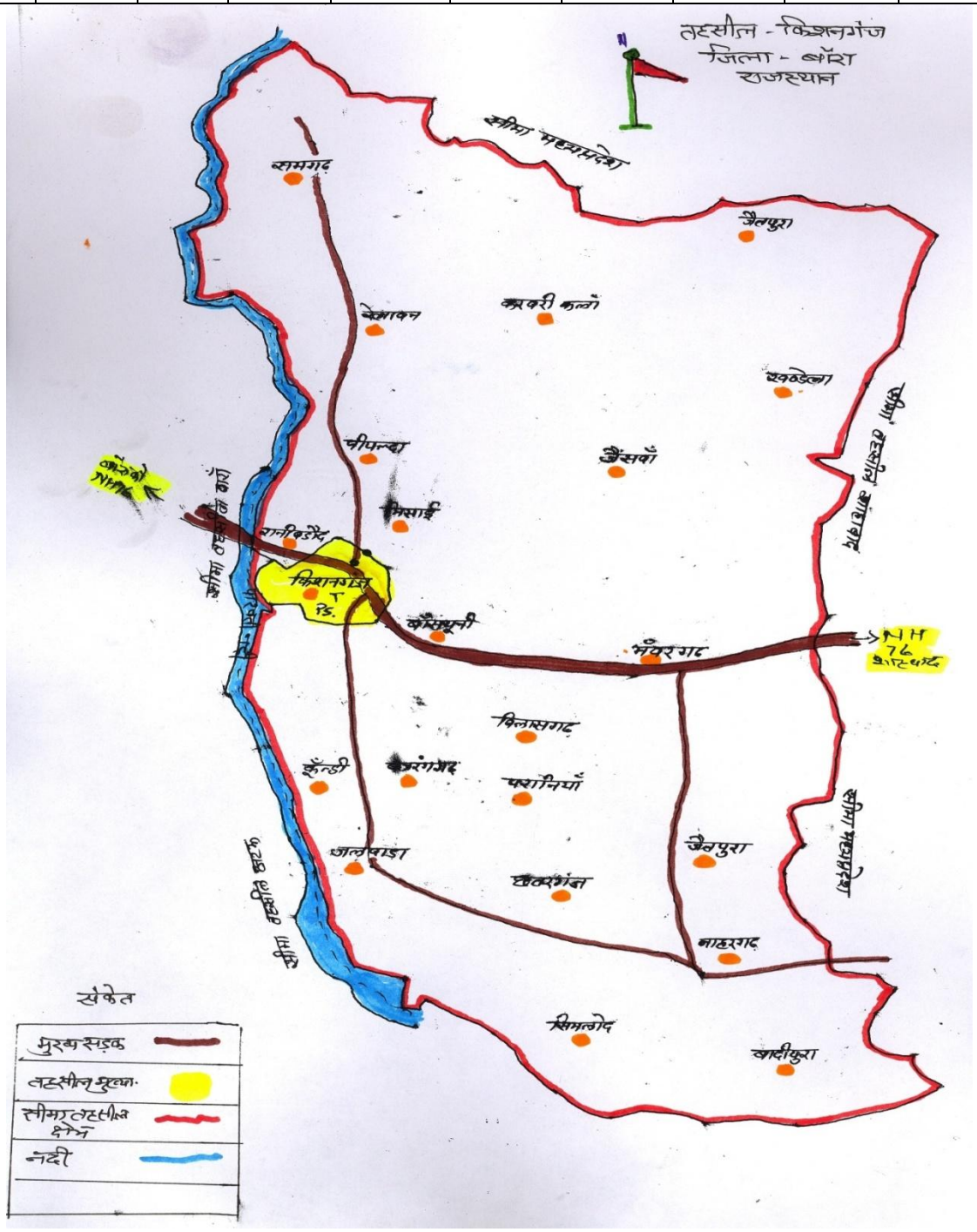

(8)तहसील शाहबाद :–

कुल ग्राम	आबाद ग्राम	भू.अ. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	जनसंख्या	पशुधन	पुलिस स्टेशन दूरभाष	स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष	उपखण्ड अधिकारी दूरभाष	तहसीलदार दूरभाष
236	169	8	33	142061	117421	262315	262490	262327	262305

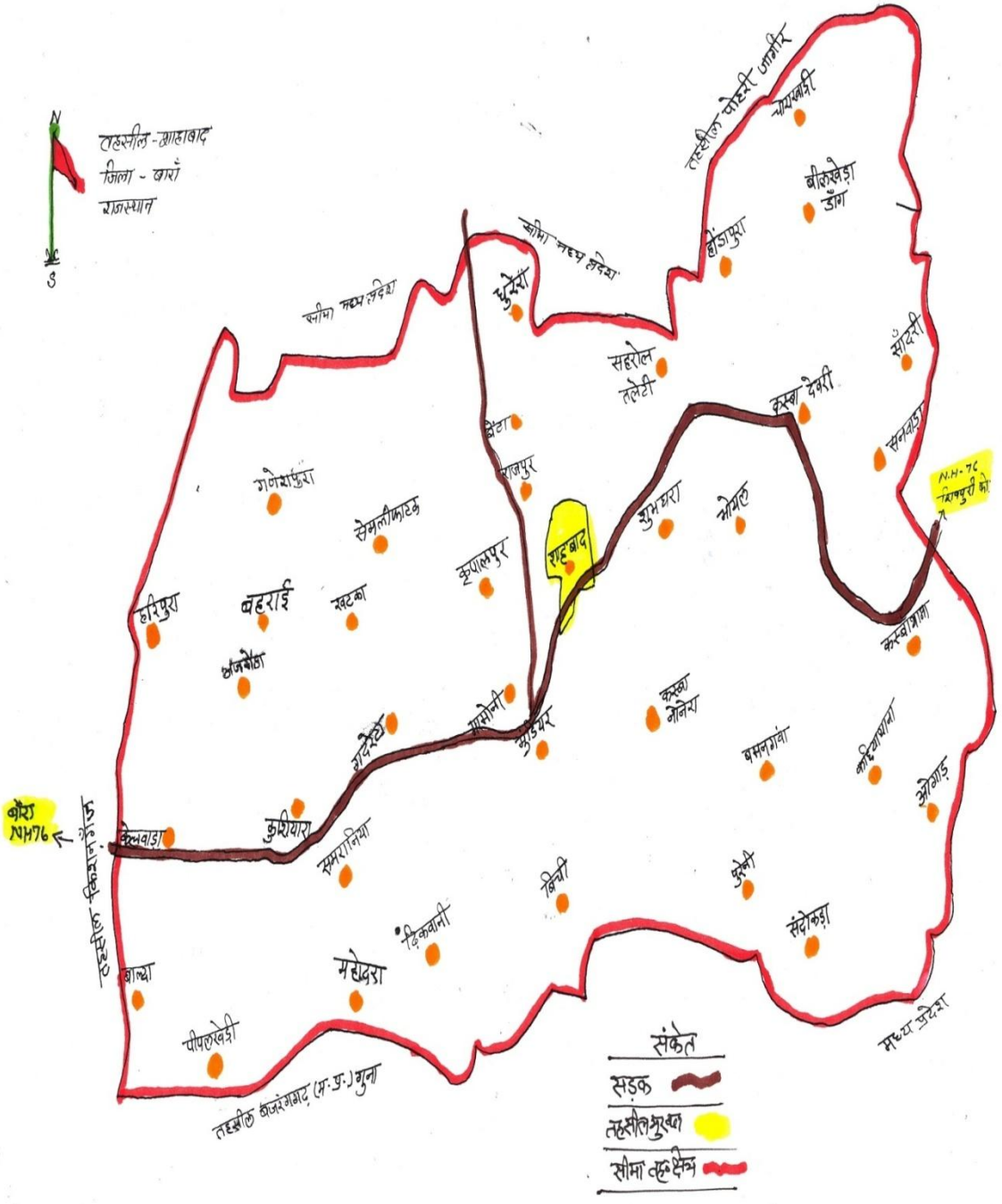

2.4 नदियां व बांध –

3 बारां जिले की प्रमुख नदियां एवं इनकी लम्बाई

क्र.सं.	नाम	बारां जिले मे लम्बाई कि.मी. में
1	पार्वती नदी	125
2	परवन नदी	120
3	कुन्नू नदी	33
4	ल्हासी नदी	60
5	अंधेरी नदी	45
6	घडावली नदी	26
7	बिलास नदी	25
8	बैथली नदी	25
9	बरनी नदी	24

2.5 बांध व तालाब–

बांधों/तालाबों की सूची

क्र. सं.	तहसील	बांध/तालाब का नाम	भराव क्षमता (मि. घन फीट)	सिंचित क्षेत्र (हे.)
मध्यम सिंचाई परियोजना				
1	अटरू	पार्वती पिकअप वियर	बहाव	12550.0
2	किशनगंज	गोपालपुरा	1153.00	5458.0
		उम्मेदसागर	657.00	2968.0
		बिलास	944.00	5863.0
3	बारां	परवन जलोत्थान योजना	बहाव	
4	छबड़ा	हिंगलोट	571.00	थर्मल
		बैथली	1116.00	4026.0
		परवन पिकअप वियर(शेरगढ)	बहाव	7464.0
लघु सिंचाई परियोजनाएं				
बारां				
	दौलतपुरा		38.14	192.0
	बटावदा		51.70	209.0
अंता				
	सोरखण्ड		45.16	243.0
	अटरू			
	मोठपुर		8.90	40.0
	बुधसागर		31.10	132.0

किशनगंज				
	बादीपुरा		25.57	105.0
	भंवरगढ़		50.00	213.0
	छतरपुरा		219.00	1012.0
	इकलेरा सागर		354.00	1858.0
	कालीसोत		263.79	875.0
	नाहरगढ़		53.19	319.0
	फल्दी		15.00	51.0
	अहमदी		145.00	
छीपाबडौद				
	पचकुई		22.18	103.0
	फालिया		64.00	343.0
	ल्हासी बांध		1000.00	
	उतावली		169.00	710.0
शा**हबाद**				
	बगदेव		49.00	258.0
	हथवारी		27.00	109.0
	खटका		115.00	620.0
	केलवाडा		12.65	121.0
	महोदरी		88.00	421.0
	रामपुरा		53.25	158.0
	रातई		344.84	1576.0
	सहरोल तलहटी		47.00	101.0
	सैमली फाटक		3.59	124.0
	सिरसीपुरा		52.53	182.0

2.6 परिवहन :–

- **वायु मार्ग** – कोटा हवाई अडडा जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर दूर है, जो वर्तमान में संचालित नहीं है। जिले के सबसे समीप राजधानी जयपुर का हवाई अड्डा है।
- **रेल मार्ग** – बारां से रेल मार्ग द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों में यात्रा की जा सकती है।

- **सड़क मार्ग** – बारां जिले से राष्ट्रीय एंव राज्य राजमार्ग निम्नप्रकार है।

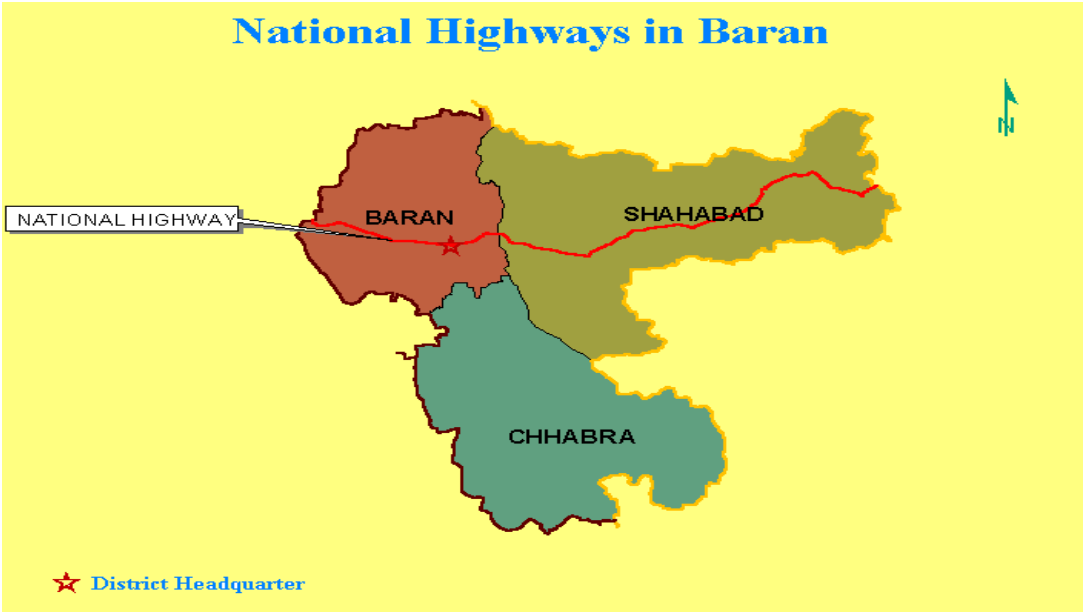

National Highways in Baran
NATIONAL HIGHWAY
BARAN
SHAHABAD
CHHABRA
District Headquarter

State Highways in Baran
STATE HIGHWAY
BARAN
SHAHABAD
CHHABRA
District Headquarter

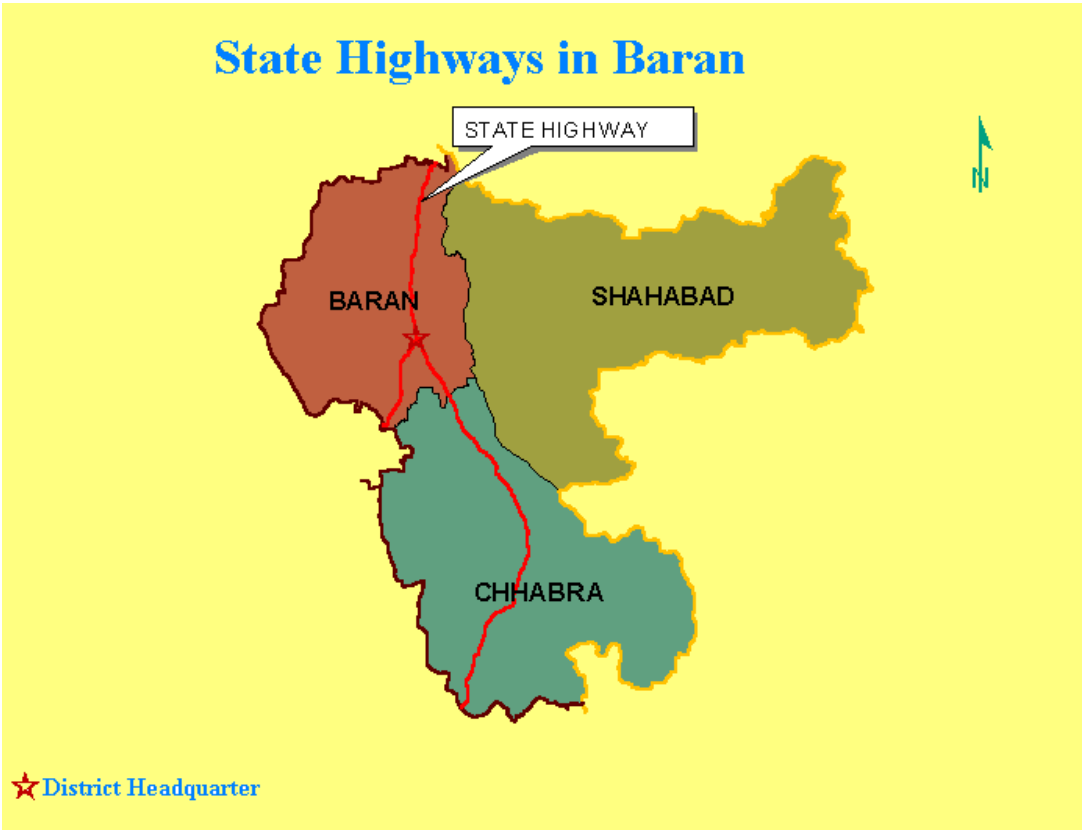

2.7 जिला प्रशासन की सूची

संभागीय आयुक्त कोटा	0744-2500853	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	अति, संभा. आयुक्त	श्रीमति ममता कुमारी तिवारी	9413975496
DM बारां	श्री बालमुकुंद असावा	9810524888	जिला पुलिस अधीक्षक	श्री अभिषेक अंडासु	9967486425
CEO जिला परिषद्	श्री राजवीर सिंह चौधरी	9602237878	ACEO जिला परिषद्		
ADM बारां	श्री भंवर लाल जनागल	8279276828	ADM Shahbad	श्री जब्बर सिंह	9829719908
SDM बारां	श्री विश्वजीत सिंह	9352170485	SDM अंता	श्री हवाई सिंह यादव	7073092072
SDM मांगरोल	श्री सौरभ भाम्बू	8948768257	SDM किशनगंज	श्री राकेश कुमार रावत	9785734223
SDM शाहबाद	श्री सुनील झींगोनिया	9662489921	SDM अटरू	श्री सुनील कुमार पीपलीवाल	7568089533
SDM छबड़ा	श्री रामसिंह गुर्जर	9358404256	SDM छीपाबडौद	श्री अभिमन्यू सिंह कुंतल	8952952593
TDR बारां	श्री दशरथ सिंह मीणा	9828488474	TDR अंता	चार्ज श्री मंजूर अली दीवान	9250431654
TDR मांगरोल	श्री बृजेश कुमार सिंहरा	8875777228	TDR किशनगंज	श्री हुकमचन्द मीणा	9928925064
TDR शाहबाद	श्रीमती अनिता कुमारी	9649262115	TDR अटरू	चार्जश्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	7406784470
TDR छबड़ा	चार्ज श्री यादवेद्र यादव	9785995555	TDR छीपाबड़ौद	चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर	9636775600
N TDR छीपाबड़ौद	चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर	9636775600	N TDR मिर्जापुर	श्री नरोत्तम मीणा	7737300364
N TDR छबड़ा	श्री माधोलाल बैरवा श्री यादवेद्र यादव	9928776344 9785995555	N TDR बारां	श्री संदीप कुमार	8118823238
N TDR अटरू	श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी	9413151135	N TDR शाहबाद		
N TDR अंता	श्री मंजूर अली दीवान	9250431654	N TDR किशनगंज	श्री अरूण कुमार सिंह	9899868830
N TDR मांगरोल	चार्ज लोकेन्द्र सिंह	9610988801	N TDR कोयला	श्री गोविंद भेडोलिया	9871027762
N TDR उप तह. केलवाड़ा	श्री मोहन लाल पंकज	9928312188	N TDR उप तह. नाहरगढ़ / रेलावन	श्री रघुराज सिंह (रेलावन)	9413945429
N TDR हरनावदा			N TDR कवाई	चार्ज श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी	9413151135
N TDR सीसवाली	चार्ज श्री लोकेन्द्र सिंह श्री बाबूलाल गोचर	9610988801 9414661851	N TDR भू–अभिलेख	श्री महेन्द्र यादवेंदु	9929907814
N TDR SDM बारां	श्री महेन्द्र यादवेंदु श्री संदीप कुमार	9929907814 8118823238	N TDR Election	श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	7406784470

BDO बारां	सुश्री श्वेता खोरवाल	6375482582	BDO अंता	श्री राधेश्याम भील	8949593744
BDO मांगरोल	श्री सुरेश गोदारा महीपसिंह जागावत	8826938288 9782671231	BDO किशनगंज	श्री हर्ष महावर	8209330858
BDO शाहबाद	चार्ज श्री हर्ष महावर श्री दीपचंद नागर	9714339795	BDO अटरू	चार्ज श्री राहुल बैरवा	9352280806
BDO छबड़ा	चार्ज श्री राधेश्याम भील राजेन्द्र प्रसाद मीणा	9829971833 7357947251	BDO छीपाबड़ौद	चार्ज श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर श्री सूर्यप्रकाश जारवाल	9636775600 9414304844
SE PWD बारां	श्री राजवीर सिंह	9414353039	SE जल संसाधन	श्री जितेन्द्र शेखर	9829035675
SE PHED बारां	श्री आलोक गुप्ता	9414048340	SE JVVNL	श्री एन.एम. बिलोटिया	9414046563
SE Water Shed	श्री मनोज पूर्वगोला	8949760652	SE परवन प्रोजेक्ट झाला,	श्री डी.एन. शर्मा साबिर हुसैन	9414329518 9602422236
XEN PWD बारां	श्री बी.एल. महावर	9414887135	XEN PWD छबड़ा	श्री नरेंद्र सिंह चौधरी	9414330683
XEN PWD मांगरोल/अंता	श्री अशोक सनाढ्य	9414175767	XEN PWD शाहबाद	श्री हरिप्रसाद मीणा/एच.पी. मीणा/बसंत जी	9414286802 9001751359 9414189410
XEN PWD Ele झालावा	श्री रचित शर्मा	9414078258	XEN PWD NH झाला		
XEN i जल संसाधन अंता,मांगरोल,बारां, अटरू	श्री महेंद्र मीणा श्री पीसी मीणा श्री बृजेश बैरवा	8058750001 9414069625 8952908679	XEN PWD Light	श्री रचित शर्मा	9414078258
XEN ii जल संसा छबड़ा, छीपाबड़ौद	चार्ज श्री दिनेश जी बृजेश बैरवा श्री महेंद्र मीणा	7597280553 8952908679 8058750001	XEN PHED छबड़ा	श्री आर.डी. मीणा श्री जितेन्द्र शर्मा	9413888207 9414601430
XEN iii जल संसा, किशनगंज, शाहबाद	चार्ज श्री राजेन्द्र मीणा पीसी मीणा	9462743192 9414069625	XEN-Iपरवन प्रोजे. XEN-II परवन प्रोजे.	श्री चंद्रशेखर मीणा श्री प्रदीप जैन श्री प्रवीण बैरवा	9413733567 9461529979 9782709505
XEN PHED बारां	श्री प्रदीप कुमार मीणा	9414234384	XEN-IIIपरवन प्रोजे.	श्री अजीत कुमार जैन	7737216000
XEN JVVNL Baran	श्री गिरिराज प्रसाद सुमन श्री नवरतन बैरवा	8118855991 9413390981	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	श्री चंद्र शेखर	9414266048 8107257552
XEN JVVNL Atru	श्री शेरसिंह मीणा	9413391149			

XEN कृषि विपणन बोर्ड मार्केटिंग	श्री रामप्रसाद जाटव	9413387105 8209600633	XEN PHED अंता (प्रोजे)	श्री मनीष भट्ट	9413807257
XEN Water Shed	श्री शिवलाल वर्मा	9460236039	XEN JVVNL ग्रामीण	श्री जे.पी. मीणा	9414022246
XEN ग्रामीण विकास अभिकरण वाटरशेड	श्री शिवलाल वर्मा	9460236039	XEN परवन प्रोजे.	श्री सुरेशचंद मीणा झाला.	6376302275
AEN PWD बारां	श्री आकाश बुटोलिया सुश्री दिव्या गोचर	7976153658 8302322392	AEN PHED बारां	श्री सीताराम मीणा विनोद कुमार मीणा	7221898609 7737905625
AEN PWD ग्रामीण	श्री जेपी गुप्ता	9413739078	AEN PHED किशनगंज	मुकुट बिहारी मीणा	9414330265
AEN JVVNL शहर AEN JVVNL किशनगंज	श्री शिवशंकर नागर श्री सुमेश चौधरी	9413390989 9413390993	AEN JVVNL ग्रामीण	श्री अजय सिंह	9413390990
AEN नरेगा	श्री मंयक शर्मा	8769542679	JEN PWD बारां	श्री कौशल चावला	7726060551
DSO रसद	चार्ज श्री विश्वजीत सिंह	9352170485	EI रसद निरीक्षक	श्री रविन्द्र	7665542277
SA (Joint Dr.)DOIT	श्री सोनू मीणा	9166331481	ACP DOIT	श्री शाहवाज आलम	9672300995
TO कोषाधिकारी बारां	चार्ज श्री भैरूलाल मेघवाल	9413109093	ATO बारां	श्री भैरूलाल मेघवाल श्रीमती कल्पना विजय	9413109093 7014434500
AO लेखाधिकारी, बारां	चार्ज श्री आशुतोष उपाध्याय	9950889572	AME Meaning	श्री भंवरलाल लबाना	9414334022
PRO सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	श्री योगेन्द्र शर्मा	9460373696	APRO सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	श्री मोहनलाल जी	8432550709
DD ICDS	श्री दुर्गाशंकर मीणा चार्ज श्री रवि मित्तल CDPO	8875502620 9001504194	AD महिला अधिकारिता	चार्ज श्री राकेश वर्मा (AD जिला बाल संरक्षण ईकाई)	9680585668
AD समाज कल्याण कल्याण	श्री शुभम नागर श्री अमल चौधरी(परिवीक्षा कारागृह कल्याण अधि. श्री निशांत सिंह	7340132694 9413127941 9782477319	AD बाल संरक्षक (अधिकारिता), महिला अधिकारिता	चार्ज श्री राकेश वर्मा (AD जिला बाल संरक्षण ईकाई)	9680585668
DIO NIC	श्रीमती पूनम पाटनी	9950951707	ADIO NIC	श्रीमती पूनम पाटनी	9950951707
CM&HO	श्री संजीव सक्सेना	9414186586	PMO Hospital	श्री नरेन्द्र मेघवाल	9509141694

DD आयुर्वेद	श्री वीरेंद्र कुमार सोहाया	7568905016	AD आयुर्वेद	श्री रविन्द्र प्रसाद गौतम	9983308099
JD पशुपालन	चार्ज श्री दीनदयाल जी श्री सुबोध दामोदर माटे श्री हरिवल्लभ	9413512472 9414729612 8949754106	DD पशुपालन	श्री सतीश लहरी श्री मदनमोहन परिहार	9549018818 9636214171
DFO वन विभाग	चार्ज श्री विवेक जी बडे श्री सुनील गौड	7678169950 7597689766	ACF वन विभाग	श्री तरूण मीणा	7357944814
AD सांख्यिकी	श्री रामप्रसाद बैरवा	9414191729	AD cpo मुख्य आयोजना	श्री कैलाश चंद मीणा	8003295443
DD GPF	चार्ज श्री अशोक कुमार सुश्री जुही अग्रवाल	9414186951 7611022148	मुख्य प्र. रोडवेज	श्री योगेन्द्र सिंह	9549653307
GM DIC	श्री रविन्द्र वर्मा	9650595749	RM Ricco रिको	श्री सतीश कुमार भारद्वाज श्री मनोज जैन	9414055247 9414044257
DR Coopretive सहकारिता विभाग	श्री रामचरण जी श्रीमति अनिता पंवार श्री ललित मीणा	9024613421 9461115851 9413860525	MD CCBसहकारिता बैंक	श्री सोमित्र मंगल श्री राजेन्द्र चौहला EO	9460054125 7976161841
मुख्य जिला शिक्षा	श्री गेंदालाल रेगर श्रीमती अरूणा कुमारी(प्रिंसिपल डाइट)	9828633671 9413470421	जिला शिक्षा अधिकारी S	श्री सीताराम गोयल	9352577964
एडी समसा	श्रीमती संतोष शर्मा श्री रामपाल	9116965898 9829597350	जिला शिक्षा अधिकारी E	चार्ज श्री सीताराम गोयल	9352577964
जिला आबकारी अधि.	श्री देवेंद्र गिरी	9414005065	CTO वाणिज्य कर	श्री नरेंद्र कुमार जैन	8003310395
SHOआबकारी, बारां	श्री प्रमोद सिंह	9462904423	ACTO वाणिज्य कर	श्री विमल जैन श्री सुरेंद्र सिंह गुप्ता	9462109620 7597261550
जिला परिवहन अधिकारी DTO	सुश्री कल्पना शर्मा	6378471215	स.निदेशक अभियोजन	श्री हरिओम मीणा	9413814728
DD कृषि विभाग	श्री राजेश विजय	9414750541	AD कृषि विभाग	श्री धनराज मीणा मुख्या/आत्मा श्री शिवराज मीणा, ब्लॉक	8949714066 9950088281
DD उद्यान विभाग AD उद्यान विभाग	श्री आनंदी लाल मीणा श्री हरचंदाराम मीणा	9460864300 9460148543	LAO परवन	हीरालाल वर्मा	9414331587
सचिव कृ.उ.मं. बारां	श्री हरिमोहन बैरवा	9461788564	सचिव कृ.उ.मं अंता	श्री दीवाकर दाधीच	8005977936
सचिव कृ.उ.मं. अटरू	चार्ज श्री फूलचंद मीणा	9829679754	सचिव कृ.उ.मं छबड़ा	चार्ज श्री फूलचंद मीणा	9829679754
LDM अग्रणी बैंक	श्री राहुल जी	8462040350 9602936449	मेने. सेन्ट्रल बैंक	श्री महेश सोनी	7055434344

आयुक्त न. परिषद्	चार्ज श्री भुवनेश मीणा	9988573440	XEN न. परिषद्	श्री भुवनेश मीणा	9988573440
EO नगर पालिका,अंता	चार्ज श्री महेन्द्र सिंह श्री दीपक नागर	9785527647 8769900422	EO नगर पालिका,मांगरोल	चार्ज श्री भावेश जैन श्री नरेश कुमार राठौर	9784689489 9462046313
EO नगर पालिका,अटरू	चार्ज श्री योगेन्द्र त्रिवेदी	9413151135	EO नगर पालिका,छबड़ा	चार्ज श्री यादवेद्र यादव	9785995555
EO नगर पालिका केलवाड़ा,	श्री नागरमल गुर्जर श्री महेंद्र सिंह	8209066589 9887209849	EO नगरपालिका, सीसवाली	श्री दीपक नागर श्री भावेश जैन	8769900422 9784689489
सफाई निरीक्षक	श्री नरसी स्वामी	8950393401	DGM BSNL	श्री प्रवीण बालोता	9414001867
मैने. मार्केटिंग सोसाइटी	श्री ललित कुमार मीणा	9667761657	रोजगार अधिकारी	चार्ज श्री राकेश वर्मा (AD जिला बाल संरक्षण ईकाई)	9680585668
श्रम कल्याण विभाग	श्री संकेत मोदी श्री गजराज राठौड़	8053115665 9079645576	श्रम फील्ड ऑफिस	श्री शंभूदयाल श्री महावीर	9928138482 9983231444
AD लोक सेवाएं	चार्ज श्री दुर्गाशंकर मीणा श्री दीपांशु सांगवान	8875502620 9636093759	NYK नेहरू युवा केंद्र	श्री अरविंद कु. जैमिनी	9829964742
नेहरू युवा केंद्र	श्री कुमार मधुकर	9166294380	DPC RRLP राजीविका स्कील डवलपमेंट	श्री राजीव सिंह तोमर (**DPM**) श्री चेतन्य (**DTE** Rajeevika)	7073203652 9414331463
स. प्रबन्धक खाद्य निगम	श्री रामदेव मीणा FCI	9414538227	PO अल्पसंख्यक	श्री शेखर श्री श्याम लाल मीणा	7737378272 9982510153
जिला खेल अधिकारी	श्री विशाल सिंह	8769275048	संपूर्ण स्वच्छता	श्री मनीष शर्मा	7737395986
अल्प संख्यक अधिकारी	श्री श्याम लाल मीणा श्री शेखर PO	9414070756 8949699438	TA मु.अभि.थर्मल	श्री सीताराम	9413385183
जिला प्रबन्धक RSLDC	श्री विरेंद्र सिंह	9799298830	अडानी पावर कवाई	श्री अमित जी श्री गोपाल सिंह देवडा श्री दीपेंद्र सिंह राठौड	9462329811 8875024944 8094016217
देवस्थान विभाग	श्री राजकुमार विजय	9468876697	ACF-AA Hunger	श्री सचिन शर्मा	8824893555
मु.अभि. थर्मल	श्री सुदर्शन सचदेवा	9414063164	प्रोग्रामर समसा	श्री अशोक योगी	8005970424
A Cen थर्मल छबड़ा	श्री सी.पी. हिमांशु	9413385980	निदेशक रूडसेट बारां	श्री देवेंद्र कुमार मीणा	9636931299
E-Global	श्री नरेंद्र जांगीड़	9667170099	JTO BSNL	श्री अशोक नागर	9414001267

भाग – III

3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिकसुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	–	–
2.	संचार सेवा	–	–
3.	वार्डन सेवा	–	460
4.	अग्निश्मन सेवा	–	–
5.	प्रशिक्षण सेवा	–	–
6.	हताहत सेवा	–	–
7.	बचाव	–	–
8.	साल्वेज सेवा	–	–
9.	पूर्ति सेवा	–	–
10.	डिपो व परिवहन सेवा	–	–
11.	कल्याण सेवा	–	–
12.	शव निपटान सेवा	–	–
	योग	–	460

3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर	
			आफिस	घर
1.	मुख्यालय	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बारां	07453–237001 237005	237131
2.	संचार सेवा	दूर संचार जिला प्रबन्धक बारां	9414001867	9414001867
3.	वार्डन सेवा	उपखण्ड अधिकारी, बारां	07453– 237006	9001123300
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्, बारां	07453–230106 07453–230082	9413969141
5.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, बारां	07453–237003	237030 8279276828
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बारां	07453–230451 274583	9414186586

7.	बचाव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां		9602237878
8.	साल्वेज सेवा	तहसीलदार, बारां	07453–237015	9828488474
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी, बारां	07453–237020	9352170485
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, बारां	07453–237105	6378471215
11.	कल्याण सेवा	सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग बारां	07453–237121	7340132694 9413127941
12.	शव निपटान सेवा	सेन्ट्री निरीक्षक, नगर परिषद्, बारां	07453–230106, 230082	9413969141

4.मुख्यालय सेवा (Headquarter Service) – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियत्रंक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बधित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 **नियंत्रक (Controller)** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का ''नियंत्रक'' नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।

- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।श

4.2 <u>मुख्यालय सेवा के कर्तव्य</u> :– नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया है:–

(क) <u>शान्तिकाल में कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ ंके सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल, पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D..में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

(ख) <u>चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।

- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) <u>युद्व काल में कर्तव्य</u> :–

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पैट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

5. संचार सेवा (Communication Service)

5.1 चेतावनी प्रणाली :–नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 **नियत्रण कक्ष** – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्व संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्व/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में ''**नियंत्रण कक्ष**'' स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 **चेतावनी प्रणाली** – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव मे समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेगें। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :–

5.3(क) **बाह्य चेतावनी प्रणाली** (**External Warning System**):– चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना उतरलाई के नियन्त्रण कक्ष ''एयर डिॅफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)'' से ''टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (TCDCC) ..... को दी जाती है।

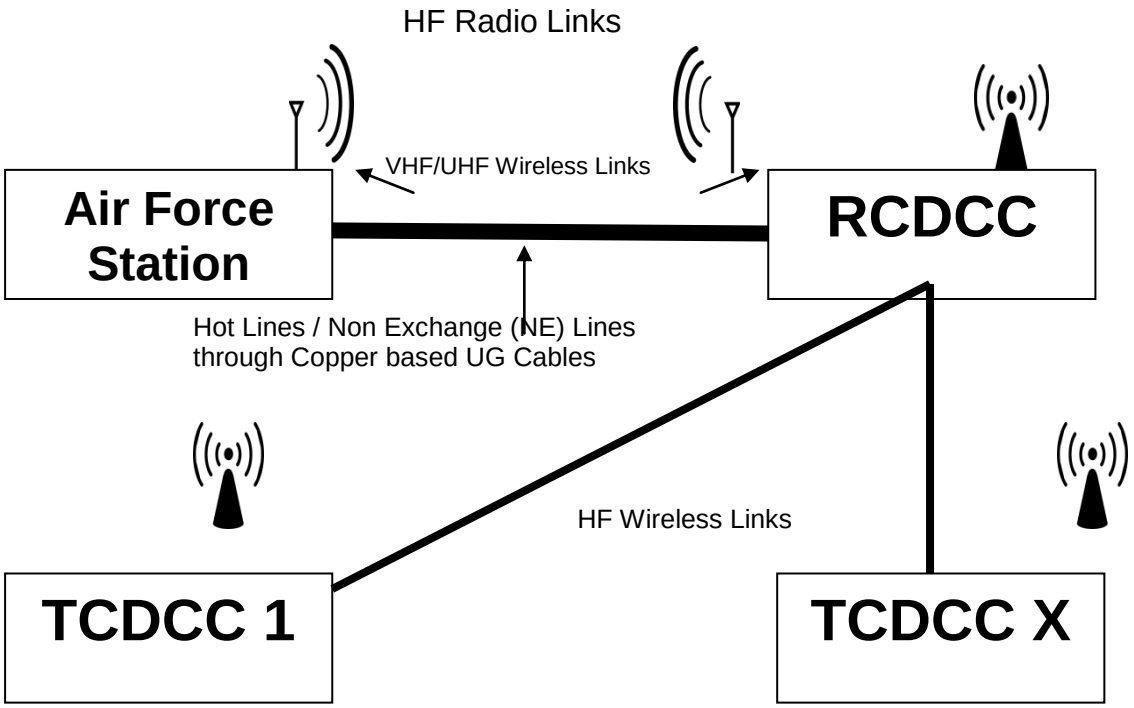

5.3(ख) **<u>आन्तरिक चेतावनी प्रणाली</u>** – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाऐं स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ARP यंत्र (Air Raid Precausion Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाए प्रसारित की जाती है।

(प) टेलीफोन

(पप) विद्युत सायरन

<u>Internal Communication Schema</u>

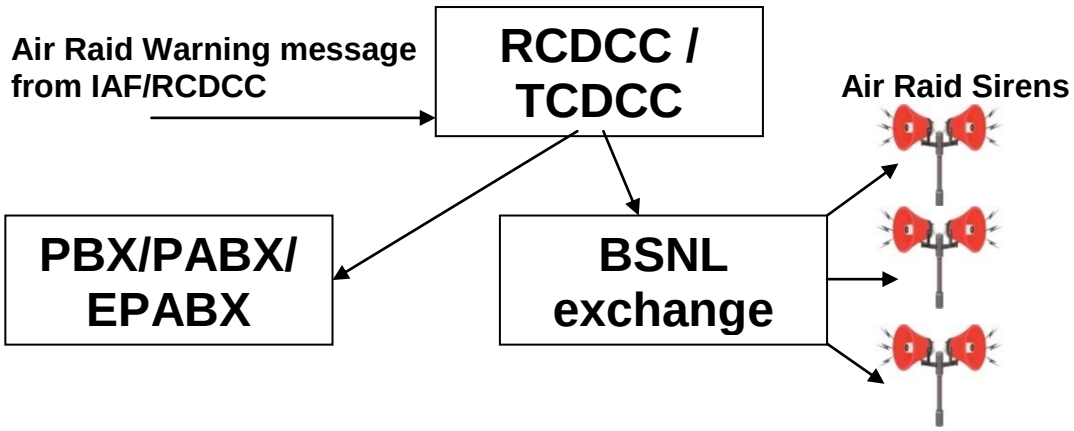

Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 **<u>नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन</u>** :– समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार हैः–

<u>टेलीफोन</u> :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा ''साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी'' द्वारा प्रदत कराई जाती है।

<u>वायरलैस</u> :– नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

<u>मोटरसाईकिल</u> :– आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

5.5 **<u>चेतावनी प्रणाली के संदेश</u> –** नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :–

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
''पीला''	तैयारी संदेश	केवल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है।
''लाल''	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''हरा''	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''सफेद''	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

6. वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 वार्डन सेवा संगठन – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रुप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :–

क्र.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	**ग्रामीण क्षेत्र**
1.	मुख्य वार्डन	जिला स्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

6.2 **<u>वार्डन के कर्तव्य</u>** – वार्डन अपने क्षैत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :–

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य	हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य
वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है। वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है। वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं। वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु ''सैल्फ हैल्प पार्टी'' तैयार करता हैं।	वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है। वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है। घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।	वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं। वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है। वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है। वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।

7. <u>अग्निशमन सेवा (Fire Service)</u> – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 <u>ट्रेलर पंप पार्टी</u> – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 <u>नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा</u> – बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–बिग्रेड कार्यरत हैं।

8. <u>प्रशिक्षण सेवा (Training Service)</u>–किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.1 <u>नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य</u>

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्व के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।

- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्तपन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन–जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

8.2 प्रशिक्षण की नीति

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	• नागरिकसुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर • हरिशचन्द्रमाथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर	• राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय /राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर • केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर • राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
नॉट :– इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।		

09. हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service) – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

9.1 **स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :–

डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 **प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक) –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 **मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट :–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 **अस्पताल सेवायें** :–आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. **बचाव सेवा (Rescue Service) –** मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

10.1 **बचाव कार्य –** हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकि (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन –** जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, **प्र**ति **5**0,000 की जनसख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11. <u>निस्तारण सेवा (Salvage Service)</u> – नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 **<u>निस्तारण सेवा के कर्तव्य</u>** :– हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :– घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12. पूर्ति सेवा (Supply Service) – नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाऐं, प्रक्रियाऐं आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे –आगजनी, मलबे मे फंसे व्यक्तियों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाऐं देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यो के लिए विभिन्न तकनीकि/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)

13.1 डिपो सेवा – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो मे उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

13.2 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u> – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्व/आपदा के दौरान स्वयंसेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

14. <u>शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u> – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु ''मृतक निवारण सेवा'' गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।

- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15. कल्याण सेवा(Welfare Service) – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यो हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 कल्याण सेवा के कार्य

(अ) सूचना एवं प्रसार :– सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यो की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) प्रसारण वाहन – आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।

(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यो हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।

(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैन्टीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :– हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

16. निष्क्रमण (Evacuation) – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'Evacuation' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :– संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 **संकट से पहले** – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

16.2 **संकट के बाद** – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेषतः बच्चो का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाऐं एकत्रित करने, सरकार को सूचनाऐं देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नाकित है :–

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :– कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :– कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।

- **चिकित्सा सहायता** :– सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

1. **रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स** – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को

निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान मे रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 **<u>सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना</u>** – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 **<u>मकानों को गिराना</u>** – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

18. आवश्यक सेवाओं का रख रखाव – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

18.1 पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

19.1 हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश नियन्त्रण – इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है – पहला ''रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्वेश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है''। दूसरा ''सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है''। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उॅचाई से उसके उद्वेश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्वेश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकता है। प्रकाश नियत्रणं व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

19.2 भवन की प्रकाश व्यवस्था

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विधुत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

19.3 सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

19.4 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :– किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विधुत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विधुत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होन चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

भाग – V

20. रासायनिक युद्व (Chemical Warfare) – रासायनिक युद्व उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

20.1 रासायनिक गैसों का वर्गीकरण :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव
1.	**तांत्रिक** ● टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। ● सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	**व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)** ● मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपडे लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।	लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है। **वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों

	• लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।	जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	**श्वास रोधी गैसे** • फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती।	गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है।	जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, श्वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।
	• डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। • युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती। • क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्शील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है। विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है। तीखी गंध होती है।	इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है।
4.	अश्रु गैस • के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है। • बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है प्रभावो द्वारा पहचान की	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता। इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।

	होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। • सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । • नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी. सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है। प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

21. <u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u> – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

<u>21.1 जैव युद्ध का उद्धेश्य</u> :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

21.2 <u>नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव</u> – किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्व की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से

पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

21.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासा पैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूंषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

21.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग	पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग
<u>जीवाणु</u> : • वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) • साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) • पास्बुरेला पेस्टिस (प्लेग) • थिब्रियो कॉमा (हैजा)	**जीवाणु** : • वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी) • ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस)	• हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेइ (चावल पर) • पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) • कार्नीलैक्टीयरियम

विषाणु (वाइरस) : ● एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) ● संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) ● मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) **रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस) **जीवविष (टॉक्सिन)** : ● बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) ● स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)	**विषाणु (वाइरस)** : ● मुख पाद रोग विषाणु ● पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	सेपेडॉनिकम (आलू पर)

22. **<u>परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)</u>** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

22.1 **<u>ऊष्मा के प्रभाव</u>** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

22.2 **<u>प्रारंभिक और द्वितीयक आग</u>** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने,

घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

22.3 परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -

  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
• Time • Distance • Radiation	• Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

22.4 **मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव** – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे

– इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

22.5 **परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव** – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिटटी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

22.6 **मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव** – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- **विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना** – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- **विलंबित प्रभाव** – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- **दीर्घकालिक हानियां** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **आनुवांशिक हानि** – यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

22.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **प्रारम्भिक विकिरण**–ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

22.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है।

22.9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims • Control Rumors & give positive information

	• To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After thee Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to

	spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

a. <u>EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK</u>

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. **<u>BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS</u>**

1. **<u>Map Study</u>**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **<u>Definition of Evacuation Area</u>**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **<u>Vulnerable Urban District</u>**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

(a) **<u>Industrialization.</u>** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial

plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.

(b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area**. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

(a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).

(b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.

(c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.

(d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.

(e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes

in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

(a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
(b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
(c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
(d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. **Strategic Evacuation**. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. **Wind Directions**. The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

भाग – VI

23. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. Of VA/VPs	Assessed Priority
1	Commn Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	BSNL Exchange,Baran	1	B
		Head Post office Baran	1	B
		Railway Station, Baran	1	B
2	TV & Radio Stations			
3	Bridges/ Rope-way/Railway Station	Railway Station, Baran	1	B
		Railway Station, anta , gugor	1	B
		Roadways Bus Stand, Baran	1	B
		Railway Bridge, Baran	1	B
4	Petroleum & Natural Gas	Nil		
5	Mines & Gas works	Nil		
6	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	Thermal Power Plant chhabra	1	A
		NTPC anta	1	A
		Adani power plant	1	A
7	Water Supply/Sewage key points	Water Source, Baran	1	B
		PHED office, Baran	1	B
8	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
9	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
10	Govt factories/ Industrial Installaltions	NIL	NIL	NIL
11	Food & Oil Storage Depots	Food Corportation, Baran	1	B
12	Dams, Barrages	Akawada parvan priyojana baran-Jhalawar		
13	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	Treasury office Baran	NIL	NIL
14	Pvt Factories/ Industrial Installations	NIL	NIL	NIL
15	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
16	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
17	Imp. Govt. Buildings	Govt. Hospital, Baran	2	B
		Collectorate, Baran	1	A
18	Miscellaneous key points	NIL	NIL	NIL
19	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
20	Fertilizers Industries	NIL	NIL	NIL
21	Any other special from your perspective	NIL	NIL	NIL

24. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

क्र. सं.	नाम स्वयसेवक/पिता का नाम	मोबाईल नं.	सी0 डी0नम्बर
1	श्री चन्द्रप्रकाश मालव/ बनवारी लाल मालव	9929205052	**002**
2	श्री मोनू कुमार पंकज / सुरेश कुमार पंकज	8955166275	**003**
3	श्री अशोक कारपेन्टर/ मोहनलाल कारपेन्टर	9928058108	**004**
4	श्री अशोक कुमार /देवीशंकर	8058412055	**005**
5	श्री पंचूलाल कण्डारा/ बिशनलाल	9929720710	**006**
6	श्री धीरज कन्डारा/ रामचन्द्र	9587455537	**007**
7	श्री रोहित पोटर/ बाबूलाल	9636499933	**009**
8	श्री अजीत सिंह राणवत/ राजेन्द्र सिंह	9649552350	**010**
9	श्री विवेक गोड/धुलिचन्द्र	9667053739	**012**
10	श्री नितेश कुमार/ राजेन्द्र	9001498665	**013**
11	श्री प्रदीप कुमार/ किशनगोपाल	9929865014	**014**
12	श्री राजेन्द्र कुमार सुमन/ मांगीलाल सुमन	9799342763	**015**
13	श्री शिवराज सुमन/ भैरूलाल सुमन	8279013691	**016**
14	श्री विनोद गोचर/ राधेश्याम	9667925839	**017**
15	श्री दीपक मालव/ बिहारी लाल	9001183170	**018**
16	श्री राकेश गुर्जर/ देवकिशन गुर्जर	7690897828	**019**
17	श्री राधेश्याम गुर्जर/ कालूलाल	8094461656	**020**
18	श्री हेमन्त जोशी/ संपत जोशी	8696179139	**021**
19	श्री रघुवीर/ किशन मुरारी	9983271435	**022**
20	श्री अजय कुमार/ सत्यनारायण	8696536327	**023**
21	बाबूलाल गोचर	9672855011	**024**
22	श्री हेमन्त कुशवाह/ लालचन्द्र	9649967551	**025**
23	श्री राधेश्याम/ जमनालाल	8740090616	**026**
24	श्री विक्रम कुमार/ रामपाल	7300445843	**027**
25	श्री कमलेश कुमार/ श्यामबिहारी	9799691197	**028**
26	श्री कुलदीप जागिड/ मांगीलाल	9461288214	**029**
27	श्री रामकिशन/ प्रेमनारायण	9929811086	**031**
28	श्री महावीर सुमन/ प्रभूलाल सुमन	7665589439	**032**
29	श्री ब्रजेश/ जगदीश प्रसाद	9610612774	**033**
30	श्री चौथमल मीणा/ किशनचन्द	9462717518	**034**
31	श्री विनोद सेन/ रामगोपाल	8769701955	**035**
32	श्री विनोद गोचर/ सुरजमल गोचर	9667925839	**036**
33	श्री शिवराज राव/ प्रभुलाल	9511509051	**037**

34	श्री हेमन्त कुमार/ बसंती लाल गोचर	9799401806	**038**
35	श्री गोविन्द राम चोबहार/ उदय लाल	9166064190	**039**
36	श्री सोहन सिंह/ धीरज सिह	8107270012	**040**
37	लोकेश कुमार गौतम/बंशीलाल गौतम	9680645821	**041**
38	रोहित कुमार/महावीर मीणा	8949172425	**042**
39	शिवम कुमार/मुकेश कुमार जाटव	9413583600	**043**
40	राहुल कुमार यादव/शिवशंकर यादव	9610592331	**044**
41	नरेन्द्र पांचाल/भगवती पांचाल	9602000497	**045**
42	बलराम सुमन/धनराज सुमन	7375922896	**046**
43	महावीर बैरवा/पन्नालाल बैरवा	7891182753	**047**
44	सुरेन्द्र कुमार नागर/जुगल किशोर नागर	9694997029	**048**
45	बब्लु/श्रीलाल	9024466326	**049**
46	महेन्द्र कुमार/बिरधीलाल	8104297842	**050**
47	राहुल गोचर/भंवरलाल	9511549201	**051**
48	महेन्द्र गोस्वामी/बद्रीपुरी गोस्वामी	8505050729	**052**
49	रामावतार मीणा/बाबूलाल मीणा	8302263739	**053**
50	हरिश प्रजापति/भवानीशंकर	8890748277	**054**
51	संजय गौतम/दिनेश गौतम	8824957140	**055**
52	विशाल सिंह/विक्रम सिंह	7737231835	**056**
53	सिमरन चिश्ती/शाबिर खान	6367659417	**057**
54	वीरू पोरता/बद्री प्रसाद पारेता	7665788167	**058**
55	भूपेन्द्र कुमार शर्मा/राधेश्याम शर्मा	9636542564	**059**
56	अजीत मीणा/सत्यनारायण मीणा	8107216633	**060**
57	दिपेन्द्र कुशवाह/गिरिराज प्रसाद कुशवाह	9351197857	**061**
58	ललित कुमार मीणा/महावीर मीणा	8302707005	**062**

59	नरेन्द्र प्रजापति/बृजमोहन प्रजापति	9511525837	**063**
60	अंकुर कुशवाह/धर्मेन्द्र कुशवाह	6375759946	**064**
61	अक्षय कुमार/श्यामस्वरूप कुशवाह	9828169710	**065**
62	जयेश कुमार कुशवाह/देवकिशन कुशवाह	8696674121	**066**
63	रवि गुर्जर/हेमराज गुर्जर	8107484458	**067**
64	सत्येन्द्र मीणा/रामकुमार मीणा	8955066267	**068**
65	हेमन्त कुमार मीणा/महावीर मीणा	7073112372	**069**
66	सुरेन्द्र कुमार कुम्हार/बृजमोहन	7230841091	**070**
67	विष्णु वैष्णव/सत्यनारायण वैष्णव	9636734909	**071**
68	निंरजन प्रजापत/चतुर्भुज	8955341306	**072**
69	इरफान हुसैन/कल्लु मोहम्मद	7073193854	**073**
70	लवकुश बैरवा/महावीरप्रसाद	7568995683	**074**
71	महेन्द्र पाल/कालूलाल	9653989332	**075**
72	विनोद नागर/देवलाल नागर	8949060296	**076**
73	नवीन यादव/पुरूषोतम यादव	7891778897	**077**
74	खुशवन्त सुमन/मोहनलाल सुमन	8529153098	**078**
75	चेतन कुमार शर्मा/रामलाल शर्मा	8386008498	**079**
76	लेखराज प्रजापत/चन्द्रप्रकाश प्रजापत	8104082806	**080**
77	शम्भू नागर/हेमराज जी नागर	8302738353	**081**
78	करन गुर्जर/गौरीशंकर गुर्जर	7014860868	**082**
79	विनोद प्रजापति/मोडूलाल	7073636285	**083**
80	महेश गुर्जर/बद्रीलाल	6378044858	**084**
81	विजेन्द्र नागर/नेमीचन्द नागर	9783347185	**085**
82	अनिल पंकज/रमेश पंकज	9166160237	**086**

83	चेतन गुर्जर/रामकिशन गुर्जर	9887311074	**087**
84	रविन्द्र गोस्वामी/धनपाल	6376515330	**088**
85	मोहित मीणा/गिरिराज मीणा	9024058006	**089**
86	अशोक कुमार सुमन/छीतरलाल सुमन	9001228115	**090**
87	मन्नू प्रजापति/रामदयाल	7023093542	**091**
88	सुनील कुमार/प्रेमशंकर प्रजापति	9887456237	**092**
89	शोएब अख्तर/रफीक अहमद	8619736752	**093**
90	गुड्डी सुमन/अशोक कुमार सुमन	9772219053	**094**
91	अरविन्द मीणा/श्यामलाल मीणा	9549774953	**095**
92	सोनू बैरवा/पन्नालाल बैरवा	7240429908	**096**
93	संजय सुमन/बुद्विप्रकाश सुमन	9351870471	**097**
94	अजय गुर्जर/दिनेश गुर्जर	8209349034	**098**
95	हनुमान गुर्जर/ब्रदीलाल	9509384564	**099**
96	देवीशंकर चोपदार/अमरलाल	9636655733	**100**
97	सागर मण्डिया/ओमप्रकाश मण्डिया	7300264860	**101**
98	विरेन्द्र प्रताप/मांगीलाल	9461288214	**102**
99	अनिल कुशवाह/धर्मेन्द्र कुशवाह	9079995328	**103**
100	गजेन्द्र कुशवाह/किशनचन्द कुशवाह	8239545527	**104**
101	मनोज कुमार/भवानीशंकर	8005733200	**105**
102	डोली बैरवा/महावीरप्रसाद	8094844509	**106**
103	कमलेश कुमार बैरवा/रमेशचन्द बैरवा	9680348503	**107**
104	पवन कुमार/स्व बिशनलाल	6367061293	**108**
105	नवीन जागिड/प्रकाशचन्द्र जागिड	8306851410	**109**
106	हेमन्त कुमार/प्रदीप गुर्जर	7878420327	**110**

107	लक्ष्मी मेघवाल/राजूलाल मेघवाल	9680809231	**111**
108	पूजा सुमन/रमेशचन्द सुमन	8824924591	**112**
109	अनिता बाई/नरेश शर्मा	9079085939	**113**
110	सुनिता/राधेश्याम	8740090616	**114**
111	कुलदीप कुमार/रामलाल	8949279187	**115**
112	नीरज बैरवा/छोटूलाल बैरवा	9509655028	**116**
113	खुशीराम गुर्जर/रामकिशन गुर्जर	9636625359	**117**
114	सुनीता सुमन/महावीर सुमन	7665589439	**118**
115	विकास चौधरी/देवीलाल चौधरी	8302850599	**119**
116	लीलाधर सुमन/प्रभूलाल सुमन	7023290588	**120**
117	शिवराज मीणा/गोगाराम मीणा	9610617726	**121**
118	ललित गोचर/मेघराज गोचर	8209216544	**122**
119	हीना यादव/किशोर कुमार	9549872849	**123**
120	दीपक सेन/सूरजमल सेन	9799637117	**124**
121	प्रमोद सेन/राकेश कुमार	6367071270	**125**
122	दीपक मेघवाल/नन्दकिशोर मेघवाल	7878821524	**126**
123	जितेन्द्र वर्मा/पप्पूलाल वर्मा	9079100164	**127**
124	प्रिंयका गौड/रामप्रसाद गौड	9680651407	**128**
125	इरफान खान/इकबाल खान	7891944025	**129**
126	तोसिफ/शाकिर मोहम्मद	9694544901	**130**
127	दुष्सन्त कुमार/चम्पालाल	7878013354	**131**
128	दिनेश कुमार कुशवाह/रामस्वरूप कुशवाह	9680212856	**132**
129	दिनेश पोटर/हेमराज प्रजापति	9358306293	**133**
130	प्राची राठौर/सुरेन्द्र राठौर	7014719101	**134**

131	रोहित मीणा/गिरिराज मीणा	9461318357	**135**
132	सुमित मीणा/गिरिराज मीणा	7425959064	**136**
133	निर्मल कुशवाह/सत्यनारायण कुशवाह	6367880078	**137**
134	मुकेश कुशवाह/जगदीश कुशवाह	9079024903	**138**
135	रोहित प्रजापति/मदनलाल प्रजापति	9983973668	**139**
136	विजय प्रजापति/रामचरण प्रजापति	7737368947	**140**
137	दीपक बैरवा/पप्पूलाल जी	8504973167	**141**
138	राघव मेघवाल/लेखराज मेघवाल	7691838269	**142**
139	महेन्द्र पंचोली/रघुवीरप्रसाद पंचोली	9887744232	**143**
140	यशवन्त शर्मा/जयप्रकाश शर्मा	9829501891	**144**
141	नन्दकिशोर/गोपाललाल	8505030920	**145**
142	हरिश कुमार मीणा/रामस्वरूप मीणा	9772707895	**146**
143	मोहित कुमार मीणा/सत्यनारायण	9352679095	**147**
144	लोकेश कुमार मेघवाल/मोतीलाल मेघवाल	7413830975	**148**
145	देवेन्द्र कुमार शर्मा/विमल कुमार शर्मा	9929721025	**149**
146	विष्णु कुशवाह/धन्नालाल	9828807785	**150**
147	शिवा नामा/राजेन्द्र नामा	7852811876	**151**
148	राकेश कुमार पंकज/छीतरलाल	9660014986	**152**
149	रोहित बैरवा/रमेशचन्द	7427098149	**153**
150	भरत नामदेव/नन्नुलाल नामदेव	9314252632	**154**
151	महावीर सुमन/लेखराज	7297807005	**155**
152	नरेन्द्र कुमार बैरवा/हेमराज बैरवा	9694319616	**156**
153	मोहन शर्मा/हरीशचन्द्र शर्मा	8005802767	**157**
154	बलवीर सिंह/मंगलसिंह	9680706807	**158**

155	प्रगति / ब्रह्मानन्द	7878826281	**159**
156	भूपेन्द्र कुमार शर्मा / बालकिशन	9649555343	**160**
157	देवेन्द्र नागर / चन्द्रप्रकाश	9799957596	**161**
158	दीपक नागर / हेमराज	8005632506	**162**
159	राहुल कुशवाह / सत्यनारायण	8696420327	**163**
160	दिलखुश / रूपचन्द्र	7732974180	**164**
161	प्रमोद नागर / धन्नालाल	9024410496	**165**
162	आदिल / मोहम्मद हुसेन	9667013787	**166**
163	दिव्य उपाध्याय / राजेश कुमार	9413116314	**167**
164	किरण गुर्जर / जमनालाल	7976784452	**168**
165	राजकुमार पाटोदी / रामचरण	889055491	**169**
166	कुशकुमार योगी / श्याम स्वरूप	6375183777	**170**
167	ललिता नागर / स्व0 दुर्गालाल	7976583978	**171**
168	विरेन्द्र सिंह / देवेन्द्र सिंह	8000531308	**172**
169	प्रवीण नायक / बृजराज	6350344650	**173**
170	पियुष सुमन / प्रेमप्रकाश	7374841066	**174**
171	बबलेश मेघवाल / गोरधनलाल	9352160792	**175**
172	प्रिया सुमन / राजूलाल	8003483681	**176**
173	निकिता सुमन / शम्भुदयाल	8696516977	**177**
174	विनोद सुमन / राजूलाल	8003483681	**178**
175	राजकुमार / छीतरलाल	7222013143	**179**
176	कपिल मेघवाल / सुरेश	9358180201	**180**
177	मुकुट बिहारी / बाबूलाल	6350103990	**181**
178	लखन मीणा / राजेन्द्र	8302185620	**182**

179	आमिर खान/अब्दुल फरीद	8696879753	**183**
180	मोहित मीणा/रामेश्वर	9587013146	**184**
181	विशाल सुमन/बनवारीलाल	9571309897	**185**
182	हेमन्त पांचाल/बनवारीलाल	9549821823	**186**
183	पवन कुमार सुमन/बनवारीलाल	8769607604	**187**
184	जितेन्द्र सुमन/बनवारीलाल	8824328484	**188**
185	अरविन्द मेरोठा/हनुमान	9079984577	**189**
186	तंवर सिंह/महावीर	7690817969	**190**
187	पवन मीणा/रामेश्वर	9928055073	**191**
188	शिव कुमार लश्करी/दुलीचन्द	7878991795	**192**
189	आकाश कुमार लश्करी/कन्हैयालाल	6350341892	**193**
190	मोहनलाल/कन्हैयालाल	9649461879	**194**
191	खुशबु/कालूलाल	8000992315	**195**
192	नवीन पारेता/बालमुकुन्द	9079604471	**196**
193	त्रिलोक चौधरी/मुकुटबिहारी	9680032221	**197**
194	अजय नागर/प्रहलाद	6375384719	**198**
195	जगदीश प्रसाद बैरवा/हेमराज	6367104334	**199**
196	ज्योति बैरवा/मदनलाल	9351468074	**200**
197	सुरेन्द्र योगी/हेमराज	9509405595	**201**
198	रामचरण पांचाल/प्रभुलाल	8769221862	**202**
199	विष्णु सुमन/देवीलाल	7014419996	**203**
200	अजय मीणा/चन्द्रमोहन	6378488451	**204**
201	मनमोहन सुमन/चन्द्रमोहन	8290145827	**205**
202	हर्षित गहलोत/लीलाधर	7891192708	**206**

203	राजेन्द्र कुमार/रामगोपाल	9667022101	**207**
204	अरविन्द कुमार/रामगोपाल	9588858593	**208**
205	विक्रम कुमार कुशवाह/महावीर कुशवाह	6375817855	**209**
206	अजय कुमार/ कन्हैयालाल	8000983544	**210**
207	त्रिलोक मालव/ राधेश्याम मालव	9929849002	**211**
208	राजकुमार भट्ट/ पुरूषोत्तम	6375782771	**212**
209	जितेन्द्र गोचर/ रामपाल गौचर	9772841416	**213**
210	सुशील गौचर/ राजेन्द्र गोचर	6367911300	**214**
211	सीताराम/ मांगीलाल	9929240975	**215**
212	हेमन्त पोटर/ प्रेमचन्द	7878972517	**216**
213	गोविन्द पोटर/ प्रेमचन्द	9024050936	**217**
214	घनश्याम मेघवाल/ रामलाल	6376206595	**218**
215	दीपक नागर/ नरेन्द्र नागर	9079383234	**219**
216	मुकेश कुमार/ गोपीचन्द	9785962178	**220**
217	हैरम्भ राठौर/ जितेन्द्र राठौर	9079608166	**221**
218	निखिल सुमन/ बसन्त कुमार	8432103582	**222**
219	विनोद कुमार/ रामप्रसाद	9587019966	**223**
220	पुरूषौत्तम कृशवाह/ महावीर	8107245439	**224**
221	योगेन्द्र कुमार सैनी/ सुरेश कुमार	9509057304	**225**
222	पुरूषोत्तम सुमन/ बाबुलाल	7665763249	**226**
223	लोकेन्द्र सुमन/ मोहनलाल	9549211159	**227**
224	हेमन्त मीणा/ रामपाल	7877193887	**228**
225	पवन कुमार मीणा/ बाबूलाल	9587997529	**229**
226	विक्की गोचर/ राजेन्द्र	8890643547	**230**

227	आलोक कुमार/श्यामबिहारी	9660420199	**231**
228	कुलदीप कुमार गौचर/ मुकेश कुमार	9828815082	**232**
229	नेमीचन्द मीणा/ रामेश्वर	9571787268	**233**
230	हरिशंकर मीणा/ रामप्रसाद	9672747146	**234**
231	अंकित कुमार गुर्जर/ हरिप्रकाश	7627017251	**235**
232	दिनेश जोशी/ राजेन्द्र	9649627711	**236**
233	बृजराज गोचर/ बसन्तीलाल	7878439673	**237**
234	राजेन्द्र कुमार गोचर/ मोहनलाल	9602377797	**238**
235	प्रदीप कुमार कुशवाह/ मुकेश	8502015123	**239**
236	महेश कुमार/ हरीशचन्द	9166166231	**240**
237	अरविन्द मीणा/ सत्यनारायण	9929581658	**241**
238	तुलसीराम कुशवाह/ चौथमल	9680184711	**242**
239	रोनक कुमार गौचर/ मुकुटबिहारी	8619989682	**243**
240	अंकुर कुमार गोचर/ मुकुटबिहारी	7891037808	**244**
241	अनिल गोचर/ गिरिराज	9351051483	**245**
242	लव गोचर/ सत्यनारायण	9983400642	**246**
243	निर्मल गोचर/ गिरिराज	7231037779	**247**
244	बबलू गोचर/ जानकीलाल	7665722264	**248**
245	विजय कुमार यादव/ कृष्णमुरारी	8302481508	**249**
246	अमन मालव/ सत्यनारायण	8000435966	**250**
247	अजय कुमार/ प्रभुलाल	7073201238	**251**
248	अर्जुन कुमार कुशवाह/ रामचन्द्र	8239771781	**252**
249	आशीष मालव/ महावीर	9672611506	**253**
250	भूपेन्द्र छन्दक/ कन्हैयालाल	8290748097	**254**

251	अविनाश सैनी / गिरिराज	9672171793	**255**
252	दिलीप शर्मा / रमेशचन्द शर्मा	8440022318	**256**
253	पवन कुमार प्रजापति / छीतरलाल प्रजापति	9509141367	**257**
254	राकेश वैष्णव / चतुर्भुज वैष्णव	9521450732	**258**
255	दिलशाद अली / असफाक अली	7014701069	**259**
256	दिनेश कुमार लववंशी / मूलचन्द लववंशी	7424911931	**260**
257	राजेश मालव / राधाकिशन मालव	8769594153	**261**
258	ललित लववंशी / रादयाल लववंशी	8890312536	**262**
259	प्रवीण लववंशी / छीतरलाल लववंशी	9587303529	**263**
260	हिबादुर रहमान / मोहम्मद अखलाक	7727878785	**264**
261	बुरहान अली / अब्दुल शाहिद	9610590657	**265**
262	रिहान खान / अब्दुल शाहिद	7014005640	**266**
263	विनोद कुमार मीणा / शंकरलाल मीणा	7568626461	**267**
264	रिजवान खान / अनवर अली	9649857505	**268**
265	खुशराज नागर / बृजमोहन नागर	8058585218	**269**
266	राजाराम मीणा / नेनकराम	9950656941	**270**
267	महावीर सुमन / नन्दकिशोर सुमन	9828838963	**271**
268	महेन्द्र लववंशी / मदनलाल लववंशी	9024649978	**272**
269	कमलेश लववंशी / मदनलाल लववंशी	8094901990	**273**
270	श्री आकाश पोटर पुत्र श्री महावीर	6367807578	**274**
271	श्री आर्यन शर्मा पुत्र श्री रघुवीर	9875705306	**275**
272	सुश्री आरती गौड पुत्र श्री पुरूषोतम गौड़	8619897273	**276**
273	श्री हेमन्त मीणा पुत्र श्री रामेश्वर मीणा	9784379070	**277**
274	श्री यशवंत यादव पुत्र श्री रमेश चन्द	9664491513	**278**

275	श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा	9694301321	**279**
276	श्री महेन्द्र सिंह हाडा पुत्र छगन सिंह हाडा	9461862121	**280**
277	श्री एसान अख्तर पुत्र श्री अल्लादीन	7877179421	**281**
278	श्री मुजाहिद हुसैन पुत्र श्री अनवर हुसैन	8104414400	**282**
279	श्री रेहान अख्तर पुत्र श्री सईद अहमद	7426892491	**283**
280	श्री आकिब अली पुत्र श्री आसिफ अली	6378321557	**284**
281	श्री कौशल सुमन पुत्र श्री मांगीलाल सुमन	8239857292	**285**
282	श्री हेमन्त सुमन पुत्र श्री मांगीलाल सुमन	6377134003	**286**
283	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री सुखपाल	9024644632	**287**
284	सुश्री कविता प्रजापति पुत्री श्री राजेश शर्मा	9462533113	**288**
285	श्री राकेश कुमार पारेता पुत्र श्री गुलान शंकर	7790928977	**289**
286	श्री सोनू यादव पुत्र श्री ज्ञानचन्द	6350062582	**290**
287	श्री राजा यादव पुत्र श्री ज्ञानचन्द	9587848656	**291**
288	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री मूरारी लाल पारेता	8432201678	**292**
289	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह	8503059122	**293**
290	श्री जितेन्द्र सुमन पुत्र श्री मोतीलाल सुमन	9694586434	**294**
291	श्री नरेश गोचर पुत्र श्री देवकिशन गोचर	8005659941	**295**
292	श्री जितेन्द्र गोचर पुत्र श्री देवकिशन गोचर	9057447612	**296**
293	श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह	8949575801	**297**
294	श्री अजय प्रताप सिंह सोलंकी पुत्र श्री महेन्द्र	8290802005	**298**
295	मनोज कुमार पुत्र खेमराज जाटव	7073394640, 6375714382	**299**
296	चम्पालाल पुत्र हरियाराम जाटव	8209772824	**300**
297	समरराज पुत्र भूपेन्द्र वैष्णव	9660172026	**301**
298	सेवक यादव पुत्र हरज्ञान यादव	8955188513	**302**

299	देवेन्द्र कुमार पुत्र तेजसिंह	7357989318	**303**
300	मनीष कुमार पुत्र रामकिशन मेहता	8824383341	**304**
301	संतोष कुमार पुत्र रामकिशन मेहता	9799153742	**305**
302	दीक्षांत पुत्र भूषण बैरागी	9521862703	**306**
303	दिलीप पुत्र कैलाश चंद खंगार	8949376843	**307**
304	अभिषेक मेहता पुत्र धर्मजीत	6377502859	**308**
305	अखिल पुत्र शिखर चंद शिवहरे	9664181999	**309**
306	हरीश कुमार पुत्र हरगोविन्द ओझा	9784470997	**310**
307	लेखराज पुत्र गणेश लाल शर्मा	9783937493	**311**
308	दीपक पुत्र गजराज सिंह मेहता	8696288802	**312**
309	पूनम पुत्री हरिओम किराड़	6378627176, 7023872704	**313**
310	अवेदश पुत्र भारत सिंह मेहता	8078675156	**314**
311	राजकुमार पुत्र श्रीलाल कोली	9549544072	**315**
312	संजीव पुत्र बचन लाल मेहता	8824345207	**316**
313	सुनील पुत्र अशोक भील	8905349158	**317**
314	राजेन्द्र कश्यप पुत्र गोपाल कश्यप	9602850325	**318**
315	श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र छीतरलाल	7665847636	**319**
316	श्री सुमित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर बैरवा	9057525771	**320**
317	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री धनपाल मीणा	6375683359	**321**
318	श्री पुरुषोतम पुत्र अमरलाल मेघवाल	9950355234	**322**
319	सोमदेव गुर्जर पुत्र रामप्रसाद		**323**
320	अंकित कुमार पुत्र कजोड	7878139582	**324**
321	नितेश नागर पुत्र कंवरलाल नागर	8890954368	**325**
322	सन्नी सुमन पुत्र महावीर सुमन	9571819074	**326**

323	विनोद कुमार पुत्र भंवरलाल रेगर	9799943080	**327**
324	हेमन्त कुमार पुत्र आशाराम मीणा	9166185704	**328**
325	सुरजभानसिंह पुत्र रघुवीर सिंह	6378603831	**329**
326	कृतिका भार्गव पुत्री खेमराज भार्गव	8104606548	**330**
327	कुलदीप कुशवाह पुत्र संजय कुशवाह	9660750011	**331**
328	लोकेश कुशवाह पुत्र गुलाबचंद कुशवाह	9664457542	**332**
329	कुलदीप मेघवाल पुत्र रामभरोस मेघवाल	7230972400	**333**
330	ललित यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव	8440056627	**334**
331	अरविन्द कुमार सुमन पुत्र बृजमोहन	9799079301	**335**
332	मनीष कुशवाह पुत्र नन्द किशोर	98299192494	**336**
333	प्रमोद कुमार पुत्र रामस्वरुप मीणा	7877722167	**337**
334	निगम कण्डारा पुत्र धनश्याम कण्डारा	6367462930	**338**
335	लकी कण्डारा पुत्र सुनील कण्डारा	7976980720	**339**
336	रवि कुमार कण्डारा	8890089308	**340**
337	योगेन्द्र कुमार कण्डारा	9549725143	**341**
338	विजय सिह कुशवाह पुत्र कैलाश चन्द्र	7688886444	**342**
339	रिकु मीणा पुत्र राजाराम मीणा	7665557579	**343**
340	सुनिल गौचर पुत्र रामसिह गोचर	8824571626	**344**
341	रिकु गोचर पुत्र दुर्गा शंकर	6350229439	**345**
342	महेन्द्र कुमार मीणा पुत्र किशनचंद मीणा	9571444104	**346**
343	नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र मदनलाल मीणा	7568190792	**347**
344	अंकित मीणा पुत्र बबलू मीणा	723095319	**348**
345	सुरेश कुमार पुत्र रामचन्द्र	9024644182	**349**
346	पियुश कण्डारा पुत्र महावीर प्रसाद	7728964571	**350**

347	अरविन्द्र पुत्र बिरदीलाल कुशवाह	8209296483	**351**
348	सत्यनारायण पुत्र धनश्याम सुमन	93517976631	**352**
349	रैना सुमन पुत्री धनश्याम	9351797631	**353**
350	मीना सुमन पुत्री धनशयाम सुमन	9351797631	**354**
351	रोशनलाल पुत्र रामगोपाल मीणा	9001414704	**355**
352	रामसिह पुत्र ओमप्रकाश	8302715840	**356**
353	विशाल कुमार पुत्र ओमप्रकाश कुशवाह	8955877591	**357**
354	कपिल पाचाल पुत्र सन्तोषपाल		**358**
355	आकाश पुत्र भैरुलाल कुशवाह	6376222295	**359**
356	विकास कुम्हार पुत्र भैरुलाल	8209924971	**360**
357	देवकिशन गुर्जर पुत्र रामप्रसाद	8949698829	**361**
358	धीरज गोचर पुत्र कालूलाल गोचर	9672328355	**362**
359	अंकित गोचर पुत्र प्रेमनारायण	8114460622	**363**
360	रामलखन गुर्जर पुत्र रामचरण	8302900895	**364**
361	लालवीर पुत्र जयलाल गर्जर	8955622952	**365**
362	संदीप पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर	8955404414	**366**
363	धर्मेश पुत्र बालकिशन गुर्जर	7023668572	**367**
364	केलाश पुत्र नन्नूलाल अहेडी	9352452869	**368**
365	मानसिह गोचर पुत्र कन्हेयालाल	9772993067	**369**
366	जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम मेहता	6350500041	**370**
367	दिपेंश कुशवाह पुत्र लालचंद कुशवाह	9024229668	**371**
368	राहुल मेहता पुत्र धनराज	7878353360	**372**
369	अंकित कुमार पुत्र लीलाधर कुशवाह	7877593338	**373**
370	कुलदीप कुशवाह पुत्र रामकिशन	6367458464	**374**

371	चेतन प्रकाश पुत्र गोर्वधन बैरबा	9079114752	**375**
372	सत्यनारायण बैरबा पुत्र गोरधन बैरबा	9571404993	**376**
373	प्रमेशदयान मेधवाल पुत्र कन्हैयालाल	8875483221	**377**
374	शुभम मेधवाल पुत्र बाबूलाल	8955833781	**378**
375	नवल पुत्र मोहनलाल कुशवाह	6367483108	**379**
376	कुलदीप कुश्वाह पुत्र भजनलाल	7737073108	**380**
377	देवेन्द्र कुमार पकज पुत्र जानकीलाल	8209291422	**381**
378	गोलू पुत्र गोरधन मीणा	8005507170	**382**
379	भवंरलाल पुत्र जगन्नाथ मीणा	8955812320	**383**
380	सदीप मीणा पुत्र भवानीशंकर	9672149497	**384**
381	पंकज मीणा पुत्र ओमप्रकाश मीणा	7878138998	**385**
382	रोहित चक्रधारी पुत्र हरिनारायण चक्रधारी	9799676304	**386**
383	श्री रणवीर मणा पुत्र धनपाल मीणा	8209399405	**387**
384	श्री बनबीर मीणा पुत्र धनपाल मीणा	6376172925	**388**
385	श्री रविन्द्र सिह पुत्र पुथ्वी पाल सिह	9782903892	**389**
386	मधुसुधन कंडेरा पुत्र रामचरण कंडेरा	8290013287	**390**
387	अजय कुमार पुत्र बाबूलाल	6376961153	**391**
388	अभिषेक मीणा पुख श्शिुपाल मीणा	7851846123	**392**
389	प्रदीप कुशवाह पुत्र औकार लाल	8032194328	**393**
390	दीपेश पोटर पुत्र ज्ञानचन्द	9664523445	**394**
391	जितेन्द्र कुमार पुत्र धनश्याम	7877597387	**395**
392	मनजीत मीणा पुत्र छीतर लाल मीणा	9502596604	**396**
393	ओम प्रकाश मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण	6375656800	**397**
394	लोकेश मीणा पुत्र राधेश्याम	7229965143	**398**

395	राजकमल मीणा पुत्र रामनिवास मीणा	6376285141	**399**
396	सुनील कुमार पुत्र गिरधारी लाल	9602921997	**400**
397	सूरज कुशवाह पुत्र मुकेश कुशवाह	7877141922	**401**
398	इन्दराज सुमन पुत्र चतुर्भज सुमन	9784224158	**402**
399	सोपाल गूर्जर पुत्र अर्जुन गूर्जर	8619543688	**403**
400	अकिंत गौचर पुत्र रामसिहं गौचर	7849914983	**404**
401	श्री मनीष मीणा पुत्र श्री शिवशंकर मीणा	8696843952	**405**
402	श्री राजकुमार कोली पुत्र श्री रामस्वरूप कोली	6377336939	**406**
403	श्री जितेन्द्र कुमार सा. पुत्र श्री गुलाबचन्द सा.	9694003134	**407**
404	श्री सोनू कुमार कोली पुत्र श्री सुन्दरलाल	6377290339	**408**
405	श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री मोहनलाल मीणा	9664157365	**409**
406	श्री आकाश वैष्णव पुत्र श्री तुलसीराम वैष्णव	9001281008	**410**
407	श्री चैतन वैष्णव पुत्र श्री तुलसीराम वेष्णव	9413005601	**411**
408	श्री हंसराज सिंह पुत्र श्री श्रषिराज सिंह	9649751560	**412**
409	श्री ललित कुमार कोली पुत्र श्री हुकमचन्द	6377012090	**413**
410	श्री नीरज पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार	8824955754	**414**
411	श्री आदिल खान पुत्र श्री परवेज मियॉ	6378661523	**415**
412	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गेन्दीलाल	8690416150	**416**
413	श्री मुकुल पारेता पुत्र श्री ओमप्रकाश पारेता	9079380681	**417**
414	श्री कमलकिशोर कुशवाह पुत्र श्री सुरजमल	8290695399	**418**
415	श्री मन्जु मियॉ पुत्र श्री रसीदखॉ	9929690259	**419**
416	श्री गजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगदीशप्रसाद शर्मा	9829921998	**420**
417	अखराज सिंह/योगेन्द्र सिंह	8769611046	**421**
418	वंश पवांर/रामभरोस	8107216975	**422**

419	हर्षित पंवार/रामभरोस	9216246099	**423**
420	पवन पांचाल /रमेशचन्द	9145913197	**424**
421	पंकज शर्मा/ जगदीश प्रसाद	9602764460	**425**
422	लोकेश वैष्णव/ राजेन्द्र	7742596957	**426**
423	मनीष कश्यप पुत्र चन्दालाल	8209568265	**427**
424	महेश गुर्जर पुत्र जगदीश गूजंर	6378440008	**428**
425	राकेश वर्मा/स्व श्री घासीलाल	8209626230	**429**
426	निहाल पहाडिया/सुरेशचन्द पहाडिया	8209869569	**430**
427	गौरव सेन/बनवारी सेन	7726801554	**431**
428	जितेन्द्र सुमन/शिवनाथ	9079764529	**432**
429	राकेश सुमन/रमेशचन्द	9166184046	**433**
430	शिवशंकर मीणा/रमेशचंद	7742548184	**434**
431	धारासिंह राठी/हेमराज	9352682907	**435**
432	महावीर प्रसाद बैरवा/मांगीलाल	9950881419	**436**
433	दिनेश एरवाल/चौथमल	6377412058	**437**
434	मो. साबिर/मो. जाकिर	9166887934	**438**
435	महावीर मेहर/रामलाल	7877958130	**439**
436	आकाश मालव/रमेशचन्द	9079815434	**440**
437	मो. हुसैन/मन्जुर अहमद	9799572645	**441**
438	नयन नागर/निर्मल नागर	7426956343	**442**
439	अरविन्द नागर/नन्दकिशोर	6350084950	**443**
440	रामावतार मालव/ नाथुलाल मालव	9602055215	**444**
441	विरेन्द्र गोंचर/ राजेन्द्र	9509535416	**445**
442	विजय कुमार बैरवा/ जमनालाल	7023395274	**446**

443	श्री नगेन्द्र सिंह भॉकरोत पुत्र श्री हिम्मत सिंह भॉकरोत	9887168880	**447**
444	कुनाल पुत्र ललित वर्मा	9351494106	**448**
445	शोयब खान पुत्र अब्दुल वहीद	9928026909	**449**
446	ममता कुमारी पुत्री राजेन्द्र	8000814279	**450**
447	पूनम हरिजन राजेन्द्र	8000814279	**451**
448	रामलाल मेघवाल पुत्र भैरूलाल	9636756513	**452**
449	श्री जितेन्द्र मीणा पुत्र श्री शिवशंकर मीणा	8290275577	**453**
450	श्रीमति दिलखुश पत्नि श्री हजारीलाल	7340270439	**454**
451	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रामदयाल	9660816136	**455**
452	हर्षित राव/धर्मेन्द्र	8764291512	**456**
453	कन्हैयालाल/रामबिलास सुमन	9145835240	**457**
454	शुभम मीणा/जगदीशप्रसाद मीणा	8094389660	**458**
455	रामसिंह बैरवा/हीरालाल	8094250558	**459**
456	नरेश महावर/चोथमल	7878536825	**460**
457	चेतन कुमार गौचर/ सुरेश कुमार	9649874008	**461**
458	आशीष कुमार गौतम/ सुरेन्द्र शर्मा	8104655752	**462**
459	धीरज मेहता पुत्र धनराज मेहता	7877262249	**463**
460	विजय सिह गौचर पुत्र गोबरी लाल	6375601567	**464**

25. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	वायरलैस सैट (एच.एफ कम्पलीट)	1
2	फायर बाल्टी लोहा	9
3	कम्बल लाल गर्म	20
4	एल्यूमिनियम सीढ़िया	4
5	पर्स	1
6	चदनीं	2
7	चैन	5
8	वायर कटर	2
9	चैन पूलिज	5
10	फनर	2
11	आरी	1
12	हथौडी	2
13	पाईप रिन्च	2
14	छिनी	4
15	बेट्ररी छोटी	08
16	मोटा रस्सा	2
17	हेल्मेट नोन मेटल	14
18	रस्सा बारिक	6
19	लाईफ जैकेट	23
20	छाते	8
21	कुल्हाडी	05
22	लाईफ बाय	12
23	फावडें	16
24	गेंती	10
25	गम बूट जोड़ा	29
26	बेल्चा	6
27	स्ट्रेचर फोल्डिग ''डी'' टाईप	2
28	स्ट्रेचर स्पाईन बोर्ड फाइबर	3
29	ड्रोन	1
30	लाईफ रिंग	08
31	इमरजेंन्सी लाईट	01
32	ड्रेग्न लाईट	6
33	मेगा फोन	3

34	Nose Mask	20
35	Fire entire suit	4
36	बोलोरो वाहन संख्या	01

कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, बारां

क्रमांक : दिनांक :

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) के Chapter vi कि बिन्दु सं. 6.5 के तहत जिला बारां में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा जनशक्ति व संसाधनों की उपलब्धता एंव जिलें में आपदा/विपदा व हवाई हमले की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों/स्थानों (Vital Area/Vital Point) के आधार पर जिला नागरिक सुरक्षा योजना को अद्यतन कर लिया गया है।

(बाल मुकुन्द असावा)
नियत्रंक (जिला कलक्टर)
नागरिक सुरक्षा,बारां